OK"k % 41(vad % 6 (tu % 2019(eY; % nl #lk,

सीटू मजदूर

संघर्ष और कुर्बानियों के 100 वर्ष

मजदूर वर्ग की एकता की लड़ाई के 50 वर्ष

सीटू के 50वें स्थापना दिवस का उद्घाटन

30 मई, 2019; नई दिल्ली

1. सीटू केन्द्र बीटीआर भवन में झंडारोहण
2. महासचिव का संबोधन
3. मावलंकर हॉल में सभा

ओड़िशा में विनाशकारी चक्रवात का कहर

(रिपोर्ट पृ. 4)

फानी का दंश

"हमें आपकी मदद चाहिए"

तत्काल योगदान दिया

(19 मई तक सीटू केंद्र में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार)

1- lhVw dæ & 1 yk[k #i;s
2- lhVw vk/kz çns'k jkT; deZpkjh & #å 25]000
3- lhVw dæ ds dfeZ;ksa dk 0;fäxr ;ksxnku & #å 13]750
4- ch-bZ-,Q-vkbZ- dUnz & 1 yk[k #i;s

lhVw vkfM'kk jkT; deZpkjh ds cSad [kkrs esa cSad VªkUlQj }kjk QaM Hkstsa

[kkrs dk uke % Jfed ,drk
cpr [kkrk la[;k % 089510011005488
cSad % vk/kz cSad
'kk[kk % e/kqlwnu uxj(Hkqous'oj
vkbZ,Q,l lh dksM % ANDB000089
ekbZØksM dksM% 751011006

lhVw vkfM'kk jkT; deZpkjh
v/;{k % yEcksnj uk;d(Qksu& 94371 43840
egklfpo% fc".kq ekgrh(Qksu& 94370 41395
edku ua- & ohvkj&5@1] ;wfuV&3] [kkjosyk uxj(Hkqous'oj & 751001

सीटू मजदूर

lhvkbVh;s dk e[ki=

जून 2019

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

~~के हेमलता~~

कार्यकारी सम्पादक

~~जे एस मजुमदार~~

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

lhVw Lo.kZ t;arh lekjksg	5
ikoj lsDVj esa ,drk ds fy, la?k"kZ	7
Á'kkUr ,u- pk/kjh	
ebZ fnol dk egRo	11
t-,l- etenkj	
ebZ fnol 2019	15
m|kx ,oa {ks=	17
etnwj&fdlku ,drk	19
jkT;ksa ls	20
dkedkth efgyk	25
miHkksDrk eagaxkbZ	26

सम्पादकीय

चुनावों के बाद मजदूर वर्ग का एजेंडा

pqukoksa urhtksa vk x, gSa vkSj ekuh vkSj mudh fgUnqRo&fcxMs 17oh ykdlHkk esa rQkuh vUnkt esa nkf[ky gks x;h gSA dkjikjksZ vkSj lkEçnkf;drk dk rkdroj xBtksM+ jkt esa fQj ls vk x;k gSA

nlj fnu ls gh dkjikjksZ ehfM;k] lEiknd; y[kks] vkSj vuqd vky[kksa dh >Mh lh yxkdj ekuh ljdkj & f}rh; dk fy, viuk ,tsaMk r; dj jgk gSA Hkkfe] Je l/kkj vkSj futhdj.k budh 'kh"kZ çkFkfedrk esa gSA

ekuh dh igyh ljdkj 2014 esa dkjikjksZ }kjk viuk fy, fu/kkfjr ,tsaMs dks ikp lkyksa esa ykxw djus esa ukdke;kc jgh FkhA fdlkuksa ds tcnLr n'k0;kih fojks/k vkSj mudh lkFk tqVs n'k Hkj ds ykxksa ds leFkZu ds ckn ljdkj dks viuk Hkkfe vf/kxzg.k dkuwu okil ysuk iMk Fkk A vuqd m|ksx vk/kkfjr gM+rkyksa] rhu vf[ky Hkkjrh; gM+rkyksa% 2 flrEcj 2015 vkSj 2016 vkSj 8&9 tuojh 2019 dh nks fnuh n'k0;kih dke;kc fojksV etnwj gM+rkyksa] mUgsa feyk fdlkuksa rFkk vU; rcdksa ds leFkZu ds pyrs 44 Je dkuwuksa dks lekIr dj 4 yscj dksM cukus dh ekuh ljdkj dh ,d Hkh dkf'k'k dke;kc ugha gks ikbZ FkhA og ,d Hkh dkjikjksZ fgr"kh l'kks/ku ikfjr ugha dj ikbZA etnwjksa dh yxkrkj gM+rkyksa vkSj 0;kid turk ds leFkZu ds pyrs igyh ekuh ljdkj ,d Hkh ifCyd lsDVj ugha cp ikbZ A ¼tcfd ekuh us çk/kkuea=h cuus gh dgk Fkk fd ifCyd lsDVj iSnk gh ejus ds fy, gS, FkkA½ ekuh ljdkj cjkstxkj ukSdjksa dks jksstxkj nsus dk ,d Hkh ok;nk iwjk ugha dj ikbZA

exj] çR;{k fonsZ'kh fuos'k ¼,QMhvkbZ½ ds uke ij dkjksZ vkSj vrjk"Vªh; foÙkh; iwath ds fy, ldkjkRed lqa'k Hkstus x,A dqN b/kj&m/kj ds ifjorZu ekSjsnk Je dkuwuksa esa fd;s x,] ifCyd lsDVj ds fofuos'khdj.k esa Hkh dqN c<+kÙkjh gqbZ A exj d,jikjksZ ds fy, t:jh Fkk fd dke iwjk djus ds fy, ekuh ljdkj dks nwljk ekSdk fn;k tk, A lks nq fn;k x;k A fygkstk Je dkuwuksa vkSj Jfedksa ds vf/kdkjksa ij u, gey] tehu vkSj ifCyd lsDVj dh fcØh dh rS;kjh gS A

yMkbZ dh nqnZfHk ct pqdh gSA etnwj oxZ vkSj n'k dh turk ds fy, Hkh ,tsaMk lkQ gSA etnwj oxZ dks viuh ,drk 0;kidre djuh gksxhA VsM ;wfu;uksa dh ,drk] etnwj&fdlku ,drk bl 0;kidre ,drk dh /kqjh gksxhA blh ,drk ds ne ij lHkh m|ksxksa] lsLFkkuksa] {ks=ksa esa Je dkuwuksa dh j{kk vkSj mUgsa ykxw djkus% fdlkuksa dh tehu cpkus] mUgsa mudh Qly ds ykHkdkjh nke fnykus] dtZ ls eqä djus% ifCyd lsDVj dks cpkus vkSj mudk vkfFkZd fodkl dh /kqjh ds :i esa iwa#)kj djus% Hkfo"; dh Je 'kfä cjkstxkjksa dks jksstxkj miyC/k djkus ds fy, 0;kid ,drkA ;g ,drk vkSj ,dtqV dk;Zokfg;ksa foHkkstu dh dkf'k'kksa dks ijkftr djsxh rFkk lfo/kkuksa vkSj ykdrkf=d lsLFkkvksa dh fgQktr ds fy, Hkh pkSdl jgsxhA

flQZ lefpr ;kstuk vkSj ,tsaMs oky oxZ l?k"kZ ds tfj;s gh lsln esa gSDejkuksa ds cgqer dks turk ds chp vYier esa rCnhy fd;k tk ldrk gSA

ओडिशा के चक्रवात पीड़ितों को मदद पहुँचायें

हाल ही में गंभीर चक्रवात फानी ने 3 मई को ओडिशा में तबाही मचाई, जिससे जिन्दगियों, पशुधन, आजीविका, आश्रय, संचार आदि को नुकसान हुआ।

आम तौर पर मीडिया ने इसके विनाशकारी प्रभाव को मुख्य रूप से ओडीशा में आऐ पहले के चक्रवातों से जानमाल की हानि की तुलना करते हुए, कम करके आंका, और पुनर्वास के लिए किए गए समयबद्ध उपायों और वादों के लिए, आम चुनाव की पूर्व संध्या पर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। हालांकि, देर से ही सही, लोगों ने तबाही का अहसास शुरू कर दिया है क्योंकि रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं।

19 मई को इंडियन एक्सप्रेस ने ओडीशा के लोगों पर फानी के विनाशकारी प्रभाव पर एक 'बड़ी तस्वीर' प्रस्तुत की – 64 लोगों की मृत्यु हो गई; 1.65 करोड़ लोग प्रभावित; 14 जिलों के 18,388 गांव प्रभावित; 5.8 लाख घर क्षतिग्रस्त; 1.8 लाख हेक्टेयर खेत नष्ट हो गए और 41.7 लाख पशुधन नष्ट हो गया।

ओडिशा से सीटू के रमेश जेना की रिपोर्ट

राज्य सरकार के अनुसार 14 जिलों के 159 ब्लॉकों और 52 नगर पालिका व एनएसी में 64 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 156.56 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चक्रवात ने पुरी और राजधानी भुवनेश्वर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है।

छोटे किसानों, साझीदार फसली, मछुआरों और कारीगरों सहित लाखों सीमांत तबकों की जनता को अपनी आजीविका, पशुधन, मत्स्य पालन, फिश कल्चर, नारियल की खेती और अन्य सामान का नुकसान हुआ है। अनुमानित 26.12 लाख के मुर्गीपालन सहित 26.15 लाख के पशुधन नष्ट हो गऐ बाकी डेयरी फार्म, बकरियों और भेड़ों में हुआ है। धान की खड़ी फसल, सब्जियों, सुपारी की बर्बादी सहित हजारों हेक्टेयर भूमि को नुकसान पहुंचा है।

कई लाख घर, विशेष रूप से कच्चे घर नष्ट हो गऐ हैं। अकेले पुरी जिले में 1.89 लाख घर या तो नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। भुवनेश्वर और कटक की गन्दी बस्ती क्षेत्रों में हजारों घरों/एस्बेस्टस की छतें नष्ट हो गईं।

चक्रवात ने 1.56 लाख बिजली के खंभे उखाड़ दिए और बिजली के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया; 6078 किलोमीटर 33केवी की लाइनों के और 34.814 किलोमीटर 11 केवी की लाइनों; 26 प्राथमिक उप–स्टेशनों और 12.042 वितरण ट्रांसफार्मरों को नष्ट कर दिया। इसने पुल, बांध, लिफ्ट सिंचाई, दूरसंचार सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को बुरी तरह प्रभावित किया। ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

वन और पर्यावरण विभाग के आकलन के अनुसार, लाखों पेड़ वन क्षेत्र में उखाड़ दिए गए हैं, और बाहरी क्षेत्रों में, रोपित वृक्ष भी विनाश के कगार पर हैं।

सरकार की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। स्कूल और जन शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्कूल और कॉलेज की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उद्योग विभाग के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है।

सीटू ओडिशा राज्य कमेटी ने चक्रवात पीड़ितों के बीच राहत और पुनर्वास कार्य के वास्ते फंउ एकत्र करने का राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। सीटू यूनियनें फंड संग्रह का आयोजन कर रही हैं और राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए अधिकारियों के समक्ष बड़े पैमाने पर प्रदर्शन/प्रतिनिधिमंडल भी आयोजित कर रही हैं।

झटपट राहत के लिए सीटू का आह्वान

13 मई को सीटू ने अपनी सभी इकाइयों, संबद्ध यूनियनों और फेडरेशनों को फंड एकत्र करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाने और ओडिशा में फानी चक्रवात के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के वास्ते सीटू की ओडिशा राज्य समिति को तत्काल फंड मुहैया कराने का आह्वान किया है।

संघर्ष और बलिदान के 100 साल

मजदूर वर्ग की एकता की लड़ाई के 50 साल

सीटू स्वर्ण जयंती समारोह

30 मई, 2019, मावलंकर हॉल, नई दिल्ली

सीटू की स्थापना के वर्ष भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह का 30 मई को नई दिल्ली के मावलंकर सभागार में पंजाब की जसबिंदर कौर द्वारा इस अवसर के लिए विषेश रूप से रचित गीत और जन नाट्य मंच द्वारा प्रसिद्ध नाटक 'मशीन' के मंचन से उद्घाटन किया गया था।

सीटू सेंटर में काम करने वाले सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता; एआईकेएस के महासचिव हन्नान मोल्लाह, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के विक्रम सिंह, एड़वा की पुण्यवती, एसएफआई के महासचिव मयूख विश्वास; सीटू राज्य के नेताओं और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

सीटू की अध्यक्ष हेमलता, इसके उपाध्यक्ष ए के पद्मनाभन, एआईकेएस के महासचिव हन्नान मोल्ला और सीटू के महासचिव तपन सेन ने सभा को संबोधित किया, हेमलता ने उद्घाटन किया और तपन सेन ने समापन किया।

अपने भाषणों में, वक्ताओं ने बताया कि अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में, सीटू भारत में पहले केंद्रीय ट्रेड यूनियन की स्थापना का शताब्दी समारोह मना रहा है; मजदूर वर्ग के संघर्ष और उसके तहत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ बलिदान, जो सीटू को विरासत में मिला था; सुधारवाद के खिलाफ संघर्ष; सीटू की स्थापना के 50 साल एकता और संघर्ष के प्रयासों के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं; मजदूर–किसान एकता; मजदूर वर्ग मुक्ति और समाजवाद की स्थापना के वर्गीय दृष्टिकोण और वर्गीय उद्देश्य जिसे सीटू ने अपने संविधान में निहित किया है; इसलिए, स्वर्ण जयंती वर्ष में सीटू का स्पष्ट आह्वान – संघर्ष और बलिदान के 100 साल; – वर्गीय एकता के लड़ाई के 50 साल – जो भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन के इतिहास में अंतर्निहित है।

अंत में, तपन सेन ने ठोस कार्य और गतिविधियों के साथ वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के लिए सीटू की ओर से बयान प्रस्तुत किया।

महासचिव द्वारा पेश निष्कर्ष

सीटू की स्थापना के 50 वर्षों को मनाने के लिए

सीटू की स्थापना के 50वें वर्ष के वार्षिक अवलोकन को सीटू के आह्वान के मूल आधार को, साकार और कार्यान्वित किया जाना . . . *जिन तक नहीं पहुँचे उन तक पहुँचना, – मजदूर वर्ग और जनता के समक्ष मुद्दों को शासन की नीति के साथ जोड़ना, और – शासन की नीति को निर्धारित और बढ़ावा देने वाली राजनीति को उजागर करना* – ताकि आने वाले संघर्षों में मेहनतकश जनता को एकजुट किया जा सके, जो काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर – लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों पर, और – बड़े पैमाने पर जनता और समाज की एकता पर – दक्षिणपंथी राजनीतिक शासन के आक्रामक हमले से निपटने की तत्काल आवश्यकता है।

और, इस आह्वान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, पूरी सीटू और विशेष रूप से इसकी प्राथमिक कार्यस्थल स्तर की इकाई समितियों को कामकाजी जनता के नेताओं के रूप में शिक्षित, सुसज्जित और सक्रिय होने की आवश्यकता है।

इस वर्ष के 50 वर्षों के अवलोकन के मौके पर पूरे सीटू में चौतरफा पहल शुरु करनी है – इस साल सीटू की स्थापना के 50 साल के साथ एक इत्तेफाक भी है कि देश के पहले राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्र एटक के शुरु होने का शताब्दी वर्ष की शुरुआत भी है।

इसके अलावा, सीटू की स्थापना के 50 वर्षों के अवलोकन के साथ ही मजदूर वर्ग के आंदोलन की 100 वर्षों की समृद्ध विरासत है, जिसमें सीटू के संस्थापक एक अभिन्न और अविभाज्य अंग थे।

इस ऐतिहासिक कार्य को करने की प्रतिज्ञा करें –

- सीटू को मजबूत करने और भारत के मजदूर वर्ग के एक मजबूत जुझारु शक्ति के रूप में संगठन को विकसित करने का लक्ष्य;
- मजदूर वर्ग की एकता को मजबूत और व्यापक करना;
- कार्यस्थल/फैक्टरी स्तर पर ट्रेड यूनियन एकता को मजबूत करना;
- सीटू कैडर और कार्यकर्ताओं के राजनीतिक वैचारिक विकास पर ध्यान दें;
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तर पर मजदूरों व किसानों की साझा कार्रवाइयों को विकसित और मजबूत करना;
- ''बेरोजगारी'', ''रोजगार सृजन'', ''रोजगार और रोजगार संबंधों की गुणवत्ता'' जैसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर स्वतंत्र, व उसके बाद संयुक्त अभियान चलाने के लिए विशेष पहल करना;
- एकजुटता की कार्रवाहियों को मजबूत करना – अन्य उद्योगों में मजदूरों के संघर्ष, मेहनतकश जनता के अन्य तबकों के संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के प्रति।

गतिविधियां

सभी स्तरों पर हर कार्यक्रम और कार्रवाई में सीटू के आह्वान का उपयोग करने का अभ्यास करें: 'जिन तक नहीं पहुँचे उन तक पहुँचना' और 'मुद्दों को नीतियों से जोडें; उस राजनीति को उजागर करें जो नीतियों को निर्धारित करती हैं';

- सीटू की सबसे निचली स्तर की कमेटियों को सक्रिय करें – यूनियन कमेटियाँ;
- संगठन और ट्रेड यूनियन की कक्षाएं, सीटू सचिवमंडल से शुरू होकर संगठन के निम्नतम स्तर तक – यूनियन कमेटियों – संगठन पर कोझीकोड दस्तावेज और वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सीटू के समक्ष कार्य – पूरी तरह से योजनाबद्ध और अंतिम रूप से तैयार करने के लिए सीटू का सचिवमंडल की मीटिंग 17–18 जून 2019 को होगी;
- जनता के जीवन और आजीविका के महत्वपूर्ण मुद्दे और समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दों और श्रमिक वर्ग की भूमिका पर सेमिनार/लोकप्रिय व्याख्यान आदि;
- साहित्य के प्रकाशन के माध्यम से प्रचार गतिविधियों को तेज करना, स्वयं शिक्षा के लिए प्रयासों को बढ़ाना और शिक्षा के लिए नई और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना;
- 2019 के लिए सदस्यता नामांकन सभी संबंधित यूनियनों, औद्योगिक फेडरेशनों और सीटू की कमेटियों द्वारा एक विशिष्ट कार्य के रूप में लिया जाएगा, एक निश्चित समय सीमा तय करना; सभी मौजूदा सदस्यों को नवीनीकृत करने और सभी क्षेत्रों और सभी राज्यों में सदस्यता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित; स्वर्ण जयंती समारोह के अंत तक 2020 में 1 करोड़ सदस्यता प्राप्त करने का लक्ष्य; सभी राज्यों और सभी फेडरेशनों/समन्वय समितियों को जून के अंत तक अपनी ठोस योजनाओं की रिपोर्ट भेजने के लिए; नियमित रूप से निगरानी रखने के लिए;
- राज्य में विभिन्न क्षेत्रों/जिलों के कम से कम 50 कार्यकर्ताओं को पहचानें और उनकी राजनीतिक वैचारिक समझ और संगठनात्मक क्षमताओं को विकसित करने के प्रयासों को केंद्रित करें; कामकाजी महिलाओं और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित तबकों में से कैडर विकसित करने पर विशेष ध्यान;
- सभी राज्य कमेटियों को संगठन के विस्तार लिए कम से कम एक प्रमुख क्षेत्र की पहचान और प्राथमिकता देना और आवष्यक मानव और वित्तीय संसाधनों को आवंटित करके उस पर ध्यान केंद्रित करना;
- सभी राज्य समितियाँ वित्तीय स्थिरता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करें ताकि विस्तार और एकीकरण के लिए, पहुँच से दूर तक पहुँचने, नीतियों के साथ मुद्दों को जोड़ने और नीतियों को निर्धारित करने वाली राजनीति को उजागर करने के लिए और आवष्यक साहित्य प्रकाशित करने सहित सभी आवष्यक गतिविधियां करने की स्थिति में हों; तथा
- मजदूर वर्ग और आम जनता की एकता की रक्षा के लिए चौकस रहें; जब भी विभिन्न तबकों की सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों सहित जो भी ताकतें इस तरह की एकता को बाधित करने का प्रयास करती हैं, तब सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करें।

मजदूर वर्ग की एकता के लिए लड़ाई के 50 साल

{सीटू के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरानः 30 मई, 2019 – 30 मई, 2020ः सीटू मजदूर ने सेक्टरवार 50 वर्षों के दौरान 'मजदूर वर्ग की एकता के लिए लड़ाई' पर लेखों का संग्रह और प्रकाशन का निर्णय किया है। विद्युत क्षेत्र में मजदूर एकता के लिए लड़ाई के बारे में, इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। – संपादक}

पावर सेक्टर में एकता की लडाई

प्रसांत एन. चौधुरी

मजदूर वर्ग की एकता की लड़ाई पर; सीटू के अध्यक्ष बीटी रणदिवे ने 30 मई, 1970 को कोलकाता में सीटू के स्थापना सम्मेलन में अपने समापन भाषण में कहा था, ''एकता के लिए संघर्ष एक गंभीर संघर्ष है, इसे बड़ी सटीकता के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ और मोलभाव करने में और इस प्रक्रिया में, विघटन की शक्तियों को अलग करना होगा। तभी, हमारा संगठन वास्तव में मजदूर वर्ग की लड़ाई की ताकत विकसित कर सकता है और मजदूर वर्ग की रक्षा के लिए संघर्श का है और अपनी चेतना को और विकसित करने के लिए एक प्रभावी अंग हो सकता है ताकि वह अपने उन राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन कर सके जो इतिहास ने इस पर डाला है।"

वर्ग एकता के लिए संघर्ष के महत्व को रेखांकित करते हुए, सीटू के कोझिकोड संगठनात्मक दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, "मजदूर वर्ग को एकजुट करना, संघर्ष को व्यापक और ऊँचे स्तर पर ले जाना, और मजदूरों की चेतना को बढ़ाने के लिए उन्हें उनके वास्तविक दुश्मनों के साथ–साथ व्यवस्था एवं नीति में उनके संकट के मूल कारणों को पहचाना, आज हमारे सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी काम हैं।"

प्रगति के लिए बिजली

विद्युत क्षेत्र सीधे प्रगति से संबंधित है और सभी बिजली उपभोक्ताओं – घरेलू, कृषि, वाणिज्यिक, औद्योगिक और साथ ही बिजली क्षेत्र के मजदूर, कर्मचारी और इंजीनियर, के हितों की रक्षा के लिए है।

लेकिन, औपनिवेशिक भारत में, बिजली अधिनियम 1910, मुख्य रूप से निजी बिजली कंपनियों को कानूनी सहायता देने के लिए लागू किया गया था, जो लाभ कमाने के लिए, वितरण प्रणाली बिछाने में, भू–मालिकों और अन्य लोगों से किसी भी बाधा के बिना टाउनशिप में काम कर रहे थे। बिजली जनता के विकासात्मक, घरेलू या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए व्यापक उपयोग के लिए नहीं थी। आजादी के समय, पूरे देश में कुल स्थापित क्षमता केवल लगभग 1360 मेगावाट थी, जो ऑपरेशन और रखरखाव के काम में लगे हुए कर्मियों की संख्या बहुत कम थी। असलियत में तो ट्रेड यूनियन आंदोलन जैसा भी कुछ नहीं था।

स्वतंत्रता के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बिजली परियोजनाओं को विकसित करने और एक आम राष्ट्रीय ग्रिड के तहत एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई थी। कृषि, उद्योग, सेवाओं के ढांचागत विकास के लिए और अन्य ढांचागत विकास के लिए विद्युत शक्ति आवश्यक है।

स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दिनों में, बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए विशेष रूप से बिजली क्षेत्र में आवश्यक विशाल निवेश के लिए घरेलू निजी पूँजी की वित्तीय क्षमता का अभाव था। इसलिए, सरकार ने इलेक्ट्रिक पावर विकसित करने की जिम्मेदारी ली और इस उद्देश्य के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के तहत बिजली लाने के लिए, विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 लागू किया। 1956 के बाद, सरकारी विभागों से अलग करने के लिए अधिकांश राज्यों में राज्य बिजली बोर्ड (एसईबी) का गठन किया गया था। अब भी कुछ राज्यों में बिजली, राज्य सरकारों के विभागों के अधीन है।

पॉवर वर्कर्स का यूनियनीकरण

हालाँकि, बिजली बोर्ड के शुरुआती कर्मचारियों ने अधिकांश राज्यों में ट्रेड यूनियनों के गठन की पहल की थी, लेकिन वे इन ट्रेड यूनियनों को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ जोड़ने में अनिच्छुक थे, जो कि पुराने सरकारी कर्मचारियों का एक प्रभाव था। कई यूनियनों ने सरकार के फैसले को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक नेताओं को एक तरह के भ्रम के तहत अपने शीर्ष पदाधिकारियों के रूप

में चुना। कुछ यूनियनों ने वकीलों को कानूनी कार्रवाही के माध्यम से आसान राहत पाने की उम्मीद में वकील चुने। कुछ मजदूरों ने श्रेणी–वार और जाति–वार यूनियनों का गठन किया। इन सभी यूनियनों ने कभी नहीं सोचा था कि संगठित मजदूर एकजुट होकर सौदेबाजी कर सकते हैं। सुधारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं और प्रबंधन ने इस कार्यशैली को प्रोत्साहित किया। ऐसी स्थिति में उद्योग के मजदूर एक साथ प्रबंधन पर दबाव नहीं डाल पाते थे।

लेकिन, धीरे–धीरे मजदूरों ने अपना रवैया बदल दिया; मजदूरों की संगठित ताकत पर भरोसा करने वाली और हड़ताली षक्ति का उपयोग करने वाली यूनियनों में संगठित होना शुरू कर दिया और 60 के दशक के उत्तरार्ध तक केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से संबद्ध करना शुरु कर दिया। 1966 में ऑल इडिंया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाईज (ए.आई.एफ.ई.ई) का गठन, मजदूरों के ऐसे बदले हुए रवैये का परिणाम था।

हालांकि, एआईएफईई के गठन से बहुत मदद नहीं मिली। एटक ने सरकार के साथ सहयोग की अपनी नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया। उन्होंने मजदूरों को देश के पूंजीवादी विकास को बाधित किए बिना कानूनी तरीके और षांतिपूर्ण तरीके अपनाने की सलाह दी। पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग की क्षेत्रीय समितियों के सदस्यों के रूप में, उन्होंने हड़ताली श्रमिकों के खिलाफ आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) का उपयोग करने की सरकार की नीति का विरोध नहीं किया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार ने श्रमिकों और कर्मचारियों के लाभ को कम करना शुरू कर दिया; सितंबर 1968 में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को बेरहमी से दबा दिया, जो आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन पर वेतन वृद्धि की माँग कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आंदोलन के कई नेताओं को बर्खास्त कर दिया और पठानकोट, बीकानेर और इंद्रप्रस्थ में अनेक हड़ताली श्रमिकों को गोली मार दी। इन सरकारी कर्मचारियों के बचाव के लिए एटक सहित तत्कालीन राष्ट्रीय ट्रेड युनियन फेडरेशन सामने नहीं आए।

राष्ट्रीय या राज्य बुर्जुआ पार्टियों के नेतृत्व वाली संबंधित राज्य सरकारें हड़ताल को दबाने के लिए केंद्र सरकार के साथ खड़ी थीं। केवल केरल की वाम सरकार ने हड़ताली श्रमिकों की मदद की और भारत सरकार द्वारा घोषित एस्मा का उपयोग नहीं किया।

बिजली कर्मचारियों का संघर्ष

सीटू के गठन के बाद, केंद्रीय, राज्य और निजी बिजली उपयोगिताओं की कई यूनियनें इससे संबद्ध हो गयीं। कुछ राज्यों में, कुछ यूनियनें वैचारिक रूप से सीटू के करीब थीं, लेकिन औपचारिक रूप से संबद्ध नहीं थीं। उनमें से कुछ राज्य सरकार के कर्मचारियों के फेडरेशन के साथ ही बनी रहीं।

केरल में बिजली कर्मचारियों ने अस्थायी श्रमिकों की नौकरियों को नियमित करने और अस्थायी और स्थायी श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि की माँग करते हुए 50–60 के दशक में आंदोलन शुरू किया। ये सभी यूनियन श्रेणी–वार यूनियनें थीं। वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं गए। वाम दलों के समर्थन और जुझारु ट्रेड यूनियनों की एकजुट कार्रवाहियों के साथ केवल अस्थायी और कैजुअल मजदूर कई बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। और, कई माँगें उनके द्वारा जीती गईं।

असम, बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी बिजली उद्योग में इस तरह के संघर्ष विकसित हुए। तमिलनाडु में लंबे समय तक आंदोलन और हड़ताल के माध्यम से हजारों अस्थायी मजदूरों की नौकरियों को नियमित किया गया था। असम, पश्चिम बंगाल और केरल में भी इंजीनियर हड़ताल पर चले गए। केरल में बिजली बोर्ड के स्नातक इंजीनियरों की हड़ताल 65 दिनों तक जारी रही। एटक के नेतृत्व वाली यूनियन ने हड़ताल का विरोध किया। उस समय, सीपीआई नेता और सीपीआई के बिजली मंत्री द्वारा समर्थित राज्य सरकार ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था और इस मुद्दे को औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेज दिया था। के.ओ. हबीब एक्शन काउंसिल के संयोजक थे। सीटू ने हड़ताल का समर्थन किया और इंजीनियरों की हड़ताल के समर्थन में दो बार राज्यव्यापी हड़ताल की। संघर्षों के माध्यम से, उड़ीसा में, 1971–72 में कैजुअल मजदूरों की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। केरल में भी 1972 में सीटू और अन्य यूनियनों द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों के माध्यम से कैजुअल और एनएमआर प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। पष्चिम बंगाल में, मस्टर रोल, कार्य प्रभार, तदर्थ और पूर्व–कैडर को लगाने की प्रणाली तब तक जारी रही जब तक कि वाम मोर्चे की सरकार 1977 में सत्ता में नहीं आई और सब खत्म कर दिया।

केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की बिजली यूनियनें सीटू से संबद्ध थीं। 17–18 अगस्त, 1973 को केंद्रीय श्रम मंत्री ने बिजली कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन बुलाया। सीटू की ओर से हबीब, जानकीरमन और सुखमॉय पाल ने हिस्सा लिया। जैसा कि केंद्रीय श्रम मंत्री रघुनाथ रेड्डी ने सुझाव दिया था, केंद्रीय वेतन गाइड लाइन समिति का गठन किया गया था।

समिति ने एक वेतन और महंगाई भत्ता सूत्र की सिफारिश की। 19–20 अक्टूबर, 1974 को दिल्ली में बिजली कर्मचारियों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा वेतन सूत्रीकरण था। जून, 1975 में आंतरिक आपातकाल घोषित किया गया और लोकतांत्रिक आंदोलन के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

ई.ई.एफ.आई. का गठन और विस्तार

संघर्षों और बलिदानों की श्रंखला और सीटू की लाइन पर जाने के बाद, त्रिवेंद्रम में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में विद्युत कर्मचारी फेडरेशन (ईईएफआई) की स्थापना 13–15 जनवरी, 1984 को हुई थी। सम्मेलन में बी.टी. राणदिवे का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन था। ई. बालानंदन और डी. जानकीरमन को अध्यक्ष और महासचिव चुना गया। बिजली कर्मचारियों की कई यूनियन, जो सीटू से संबद्ध नहीं हैं, ईईएफआई में संबद्ध हैं और इसमें आराम से काम कर रही हैं। वर्ग संघर्ष के लिए एकता के इस बंधन ने अपार ताकत जोड़ी। 15 राज्यों की 22 यूनियनों ने अपनी शुरुआत में ही ईईएफआई की संबद्धता ले ली थी।

नवउदारवादी हमले

1991 में, भारत सरकार ने विकास की राह के रूप में नवउदारवादी अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया। बिजली उद्योग में निजी पूँजी को आमंत्रित किया गया था। निजी मुनाफाखोरों के हितों की सेवा के लिए राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा रद्द कर दिया गया था। ई.ई.एफ.आई. स्वतंत्र रूप से और एनसीसीओईईई (नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स) के संयुक्त मंच से निजीकरण की चुनौती से निपटने के लिए वीरतापूर्ण संघर्षों की शुरुआत की।

पूरे देष में विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी हस्तक्षेप के द्वारा, ईईएफआई पैंतीस वर्षों की इस अवधि के दौरान मजबूत हुआ। यह नए क्षेत्रों, नए राज्यों, नई उपयोगिताओं और उद्योग के नए तबकों के बीच और दोनों नियमित और ठेकेदार मजदूरों के बीच विस्तारित हुआ है। ईईएफआई की गतिविधियां उठाये गये मुद्दों के प्रकार, उन स्थानों और तबकों, जिनमें वे संचालित होती हैं और उनमें भाग लेने वाले मजदूरों की संख्या के लिहाज संदर्भ में बढ़ी हैं। आज पूरे देश में बिजली कर्मचारियों द्वारा, ईईएफआई को बिजली कर्मचारियों के सबसे जुझारु संघर्ष करने वाले संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ईईएफआई के पास राज्यों से 22 और केन्द्र शासित प्रदेशों से 45 संबद्ध यूनियन हैं, जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के नियमित, ठेका, कैजुअल और दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को कवर करते हैं।

एनसीसीओईईई और इसका संघर्ष

केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा निर्देषित, बिजली विधेयक, 2000 को नेषनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया था, जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रतियोगिता के बहाने निजी पूँजीपति क्षेत्र से बिजली क्षेत्र में निवेश को आकर्शित करने के लिए बिजली क्षेत्र के लिए लागू सभी मौजूदा कानूनों को रद्द करना था। मूल मकसद, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 को रद्द करके राज्य बिजली बोर्डों का निजीकरण करना था।

राज्य बिजली बोर्डों के सराहनीय प्रदर्शन के कारण भारत सरकार ने देश की आर्थिक उन्नति के तथ्य को दबा दिया। राज्य बिजली बोर्डों ने स्वतंत्रता के बाद से 70 गुना अधिक उत्पादन क्षमता जोड़ी है; ग्रामीण विद्युतीकरण बढ़कर 1,500 से 5 लाख गाँव हुआ और 1.2 करोड़ पंप–सेटों की सक्रियता ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि की दिशा में योगदान दिया, जिससे भुखमरी के देश से अतिरिक्त खाद्य पदार्थ वाले में बदल गया। आर्थिक वृद्धि के बाद, बिजली की माँग बढ़ी। अब, सरकार ने इस क्षेत्र में लाभ के लालची निजी पूंजीपतियों को आमंत्रित करने के लिए सोचा। स्पष्ट कारण के लिए, उन्होंने 5 दशकों के दौरान रु० 26,000 करोड़ के संचित नुकसान पर ध्यान केंद्रित किया!

बिजली विधेयक, 2000 के मसौदे की रूपरेखा को फरवरी, 2000 में नई दिल्ली में आयोजित बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया था। प्रस्तावित विधेयक, एक बार अधिनियमित होने के बाद, देश की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाएगा और स्वदेशी उत्पादन प्रणाली सहित प्रौद्योगिकी, विनिर्माण के सभी विकासों को रोक देगा। यह ढ़ाँचागत कृषि, वाणिज्य और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को रोक देगा। 30 अप्रैल, 2000 को जयपुर में एक अधिवेशन में बिजली के क्षेत्र के सभी राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियनों और इंजीनियरों और अधिकारियों के संगठन इकट्ठे हुए। बिजली क्षेत्र के मजदूरों के दिग्गज नेताओं ई. बालनंदन और ए.बी. बर्धन ने इस सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों द्वारा बिल वापस करने और बिजली को देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के बजाय उसे एक बाजार संचालित वस्तु सेवा में बदलने के एनडीए सरकार के खेल का विरोध करने के संघर्ष में जनता के व्यापक तबके को शामिल करने के लिए बिजली कर्मचारी और अभियंता (एनसीसीओईईई) की राष्ट्रीय समन्वय

समिति के रूप में एक बहुत व्यापक आधार का गठन किया। सीटू केंद्रीय कार्यालय ने ईईएफआई के इस ऐतिहासिक काम के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र सौंपा।

एनसीसीओईईई के नेशनल चैप्टर ने संघर्ष को अंजाम देने के लिए क्षेत्रीय और राज्य चैप्टरों का गठन करने का निर्णय लिया। ईईएफआई ने सभी राज्यों, क्षेत्रों और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीटू नेतृत्व ने बिजली में मजदूरों, अधिकारियों और इंजीनियरों के राष्ट्रव्यापी एकजुट आंदोलन के लिए मार्गदर्शन और हर प्रकार समर्थन दिया।

बिजली कानून पर एजेंडे से परे जाकर, एनसीसीओईईई ने बिजली के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में बनाने, राष्ट्रीय ऊर्जा संसाधनों को सार्वजनिक संपत्ति, समान काम के लिए समान मजदूरी, नियमित नौकरियों में ठेका प्रणाली को समाप्त करने और नई पेंशन योजना का विरोध करने के लिए अपने संघर्ष को विस्तारित किया है। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के सभी राष्ट्रीय फेडरेशन एनसीसीओईईई के घटक हैं। 2014 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की स्थापना के बाद, बीएमएस से संबद्ध बिजली फेडरेशन ने एनसीसीओईईई के तहत एकजुट गतिविधियों से खुद को अलग कर लिया है।

संयुक्त संघर्ष की उपलब्धि

एनसीसीओईईई के संयुक्त संघर्ष ने वाम दलों के समर्थन पर निर्भर यूपीए–1 सरकार के दौरान वामपंथी राजनीतिक दलों के समर्थन से उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की थीं। ग्रामीण जनता के बिजली के अधिकार को रोकने के लिए बिजली अधिनियम, 2003 का खंड 6 हटा दिया गया था। इस खंड को हटाने के बाद, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना, जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सबसे बड़ी परियोजना थी, को भारत सरकार द्वारा बड़ी धनराशि के साथ चलाया गया। क्रॉस सब्सिडी खत्म करने जैसी जनविरोधी धाराओं में संशोधन किया गया।

पुनः विद्युत, (संशोधन) विधेयक, 2014 को 19 दिसंबर, 2014 को संसद में रखा गया। विधेयक ने इस सेवा को 'कैरिज' और 'कंटेंट' में बांटने वाली वितरण सेवा प्रस्तावित की। इसके विरोध में, 8 दिसंबर को संसद पर बड़े पैमाने पर मार्च हुआ और उसके बाद मंत्री के साथ चर्चा हुई। लेकिन, सरकार ने एनसीसीओईईई द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया।

इस पृष्ठभूमि में, 6–7 नवंबर, 2015 को कोच्चि में बिजली मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। एनसीसीओईईई ने तुरंत सम्मेलन स्थल पर विरोध रैली का आयोजन किया। केरल के बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों और अधिकारियों के सभी राष्ट्रीय फेडरेशनों ने विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। केरल के अलावा, तमिलनाडु और आस–पास के राज्यों के बिजली क्षेत्र के नेताओं ने भी प्रदर्शन को एक विशाल बनाने में योगदान दिया। पूरे केरल में प्लेकार्ड, बैनर और बंदनवारों ने बिजली (संशोधन) विधेयक, 2014 की जनविरोधी विशेषताओं का खुलासा किया। इस पृष्ठभूमि में, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने 5 नवंबर, 2015 को आरएलसी कार्यालय कोच्चि में चर्चा के लिए बैठक बुलाई। बैठक निष्फल रही।

लगभग 16,000 बिजली कर्मचारियों, अधिकारियों और इंजीनियरों ने बिजली मंत्रियों के सम्मेलन के आयोजन स्थल को घेर लिया, रैली और जनसभा की। के.ओ. हबीब ने बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा के तत्कालीन बिजली मंत्री माणिक डे ने रैली में भाग लिया और देश के लोगों के हित में काम करने के लिए एनसीसीओईईई को बधाई दी। अंततः केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूश गोयल ने एनसीसीओईईई के नेतष्त्व को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। बिना किसी परिणाम के बैठक 1 घंटे से अधिक जारी रही।

संघर्ष का विस्तार

इसके बाद, भारत की गरीब जनता के लिए बिजली के अधिकार को रोकने के सरकार के कदम का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय, राज्य और जिला रैलियों की श्रंखला आयोजित की गई।

एनसीसीओईईई द्वारा 8 जून, 2018 को बुलाए गए बिजली कर्मचारियों के राष्ट्रीय अधिवेशन ने 7 दिसंबर, 2018 को राष्ट्रव्यापी बिजली हड़ताल का फैसला किया। लेकिन, बाद में, 8–9 जनवरी, 2019 को प्रस्तावित मजदूरों की देशव्यापी आम हड़ताल के मद्देनजर, 7 दिसंबर की बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। ।

सरकार के कदम को रोका

बिजली कर्मचारियों के जोशपूर्ण एकजुट संघर्ष के कारण, पाँच वर्षों के गंभीर प्रयासों के बावजूद, सरकार बिजली (संशोधन) विधेयक, 2018 के रूप में एक नया विधेयक पेश करने के अलावा 2014 के विधेयक को लागू नहीं कर सकी। *(प्रशांत एन चौधुरी ईएफआईआई के महासचिव, एनसीसीओईईई के संयोजक और डब्ल्यूएफटीयू की ऊर्जा टीयूआई के अध्यक्षहैं)*

मई दिवस का महत्व

जे. एस. मजुमदार

मई दिवस, अंर्तराष्ट्रीय मजदूर वर्ग की एकजुटता के दिवस को हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। मई दिवस को मनाने के बारे में अलग–अलग तरह की समझादारी है।

एक समझ के अनुसार मई दिवस दिन के सामान्य काम को 8 घंटे की वैधानिक सीमा में सीमित करने की माँग को लेकर हुए मजदूरों के संघर्ष के दौरान 4 मई, 1888 को शिकागो के हेमार्केट में घटी ऐतिहासिक घटना की याद के रुप में मनाया जाता है। ऐसी समझ इसे भूतकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को मनाने की रस्म तक सीमित करती है, जैसे यह इतिहास में अचानक घटी एक घटना थी। वे मई दिवस पर आराम और मनोरंजन को भी बढ़ावा देते हैं। यही नहीं, यह मजदूर वर्ग के संघर्ष को भी केवल 8 घंटे के कार्यदिवस तक सीमित करती है। यह एक सुधारवादी समझ है।

एक गलत धारणा यह भी है कि लाल झंडा हेमार्केट के शहीद मजदूरों के खून से भीगे कपड़े से आया।

वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाला ट्रेड यूनियन आंदोलन मई दिवस को एक अलग समझदारी के साथ मनाता है जो कहीं अधिक गहरी है; जो इतिहास में हेमार्केट की घटना से आगे जाती है; और इसे बेहतरी व आगे बढ़ने के लिए मजदूर वर्ग के जारी आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक संघर्ष से जोड़ती है।

I

एक सामान्य कार्य दिवस में काम के घंटों की वैधानिक सीमा की माँग को लेकर मजदूर वर्ग का संघर्ष विभिन्न देशों में हे मार्केट के संघर्ष से बहुत पहले उनके अपने अनुभवों से उभरा था। तब के आगे बढ़े हुए पूंजीवादी देशों में ऐसे संघर्षों के अपने विस्तृत अध्ययन के द्वारा कार्लमार्क्स अपने निष्कर्षों पर पहुँचे थे तथा उन्होंने उत्पादन के पूंजीवादी तरीके में *बेशी या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत* और वर्ग संघर्ष के सार का प्रतिपादन किया था।

शिकागो की घटना के कोई दो दशक पहले, काल मार्क्स ने मजदूरों के सामान्य कार्यदिवस में काम के घंटों को सीमित करने के बारे में इस प्रकार लिखा था, *'कार्यदिवस की एक अधिकतम सीमा है . . . प्राकृतिक दिवस के 24 घंटों में एक व्यक्ति अपनी अहम शक्ति की एक निश्चित मात्रा ही खर्च कर सकता है। इसी तरह से एक घोड़ा दिन प्रतिदिन केवल 8 घंटे तक कार्य कर सकता है। दिन के एक भाग में इस शक्ति को अवश्य ही आराम व नींद चाहिये; दिन के दूसरे भाग में आदमी को अपनी अन्य भौतिक जरुरतें, खाना, धुलाई, सफाई, पूरी करनी होती है। इन शुद्ध शारीरिक सीमाओं के अलावा कार्यदिवस के विस्तार में नैतिक किस्म की बातें भी आती हैं। एक श्रमिक को अपनी बौद्धिक व सामाजिक जरुरतें भी पूरी करनी होती हैं जिनकी हद व संख्या सामाजिक विकास की साधारण दशा पर निर्भर करती है। इस तरह, कार्यदिवस का अंतर शारीरिक व सामाजिक हदों के भीतर ऊपर–नीचे होता है।'' (पूंजी खंड –1, भाग–3, पाठ–10: कार्यदिवस सेक्शन 1)*

मार्क्स के इस आख्यान से आज के मजदूर वर्ग का नारा निकल कर आया *''8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ।''*

मार्क्स ने तब *''एक सामान्य कार्यदिवस के लिए संघर्ष''* के बारे में लगातार तीन सेक्शनों में लिखा *(सेक्शन 5, 6, व 7 अध्याय 10 पूंजी खंड– 1)*

सेक्शन 5 में, 14$^{वीं}$ शताब्दी के मध्य से 18$^{वीं}$ शताब्दी के मध्य – औद्योगीकरण के दौर, पूंजीवाद के उभार और पूंजी व श्रम के बीच संघर्ष के दौर में, *'कार्यदिवस के विस्तार के लिए आवश्यक कानूनों'* का परीक्षण करते हुए मार्क्स ने अपना निष्कर्ष यूं पेश किया, *''एक सामान्य कार्यदिवस का स्थापित होना पूंजी व श्रम के बीच शताब्दियों के संघर्ष का परिणाम है। इस संघर्ष का इतिहास दो विरोधी– प्रवृतियों को दिखाता है। उदाहरण के लिए हमारे समय के अंग्रेजी फैक्टरी कानून की 14 वीं शताब्दी से लेकर 18$^{वीं}$*

शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजी श्रम कानून से तुलना करें। जहाँ आधुनिक फैक्टरी अधिनियमों ने कार्यदिवस को आवश्यक रुप से छोटा किया वहीं पहले के कानूनों ने इसे बाध्यकारी तरीके से बढ़ाने की कोशिश की।''

मार्क्स ने फिर सेक्शन 7 में काम के घंटों को सीमित करने के लिए अलग–अलग देशों में जारी मजदूर वर्ग के संघर्षों की चर्चा की– *''एक सामान्य कार्यदिवस के लिए संघर्ष; अंग्रेजी फैक्टरी अधिनियमों की अन्य देशों में प्रतिक्रिया।''*

संघर्ष के लिए मजदूर वर्ग की एकता के बारे में एक दम स्पष्ट मार्क्स ने लिखा, *''यूनाईट स्टेट्स ऑफ नार्थ अमेरिका में मजदूरों का प्रत्येक स्वतंत्र आन्दोलन तब तक लकवाग्रस्त था जब तक गुलामी ने गणतंत्र के एक भाग को अस्तव्यस्त किया हुआ था। गोरी चमड़ी वाला श्रम वहाँ अपने आपको मुक्त नहीं कर सकता जहाँ उसकी काली चमड़ी पर ठप्पा लगा हो। लेकिन दासता के खात्में से एकदम ही एक नये जीवन का उभार हुआ। ग्रहयुद्ध का पहला फल था आठ घंटे का आंदोलन जो अटलांटिक से पेसिफिक, न्यू इंगलैंड से कैलिफोर्निया तक लोकोमोटिव के सात जोड़ी चक्कों के साथ बढ़ा '' . . (जोर देने के लिए रेखांकित)*

काम के घंटों के बारे में अंतराष्ट्रीय मजदूर वर्ग के आंदोलन के महत्व पर जोर देते हुए मार्क्स ने लिखा, *'इसी समय,लंदन जनरल कांउसिल के प्रस्ताव पर, जेनेवा में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन ने तय किया कि कार्यदिवस का सीमित होना एक पूर्व शर्त है जिसके बिना बेहतरी व मुक्ति के लिए किये जाने वाले सारे प्रयास आवश्यक रुप से नाकाफी साबित होंगे . . . कांग्रेस ने कार्यदिवस की 8 घंटे की कानूनी सीमा का प्रस्ताव किया।'' ''इसीलिए अटलांटिक के दोनों ओर मजदूर वर्ग का आंदोलन है जो उत्पादन के अपने हालातों के चलते नैसर्गिक प्रवृति के साथ बढ़ा।'' (जोर देने के लिए रेखांकित)*

इसके पहले, वर्ष 1866 में ही यूनाईटेड स्टेट्स की नेशनल लेबर यूनियन ने 8 घंटे के कार्यदिवस का फैसला ले लिया था। इस फैसले का अनुमोदन करते हुए इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन की जेनेवा कॉंग्रेस ने अपने प्रस्ताव में नोट किया, *''चूंकि कार्यदिवस की सीमा उत्तर अमेरीकी संयुक्त राज्य के मजदूरों की आम माँग का प्रतिनिधित्व करती है, कॉंग्रेस इस माँग को सारी दुनिया के मजदूरों के साधारण मंच के रुप में बदलती है।''*

यह इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन ही थी, मार्क्स जिसके एक प्रमुख नेता और उसकी 32 सदस्यीय 'लंदन जनरल कौंसिल' के सदस्य थे, जिसने 3–8 सितम्बर, 1866 में जेनेवा में अपनी पहली कॉंग्रेस में, दुनिया के सभी देशों में 8 घंटे के कार्यदिवस की वैधानिक सीमा की माँग को हासिल करने के लिए संघर्ष के बारे में प्रस्ताव पारित किया था।

इस प्रस्ताव के मसविदे को तैयार करने में मार्क्स की छाप एकदम स्पष्ट थी। प्रस्ताव में नोट किया गया था, कि मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए पूंजीवादी व्यवस्था में ही काम के अन्य हालातों *में 'बेहतरी'* के लिए और अंततः मजदूर वर्ग की *'मुक्ति'* के संघर्ष को और आगे बढ़ाने के लिए *'आठ घंटे के कार्यदिवस की सीमा हासिल करना एक पूर्व शर्त है'।*

इस प्रकार, अंर्तराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रुप में मई दिवस मनाने का सार, 8 घंटे के कार्यदिवस की सीमा को हासिल करने के लिए मजदूर वर्ग के संघर्षों के लिए पुनर्समर्पण, पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर सभी सामाजिक भागीदारों के लिए आर्थिक व सामाजिक न्याय के लिए मजदूर वर्ग के संघर्ष को और आगे बढ़ाने तथा इन संघर्षों से उभरने वाले राजनीतिक मुद्दों पर संघर्षों तथा समाजवाद की दिशा में रास्ता तैयार करने की एक पूर्व शर्त के रुप में है न कि उसे सीमित कर देने में।

II

इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन की जेनेवा कॉंग्रेस में 8 घंटे के कार्य दिवस के प्रस्ताव के पारित होने के लगभग दो दशक बाद और उसके मार्गदर्शक कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद यू एस ए में आर्गेनाइज्ड ट्रेडर्स एंड लेबर यूनियन की फेडरेशन ने 8 घंटे की कार्य दिवस सीमा को हासिल करने के लिए 1 मई, 1886 को आम हड़ताल का दिन तय किया।

इस साझा माँग व हड़ताल के फैसले को अमेरिका में बढ़ते औद्योगीकरण, पूंजीवादी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र के रुप में इसके उभरने; जबरन काम के लंबे घंटों से जुड़े मजदूरों के भारी शोषण; तथा पुलिस, बड़े मालिकों, हड़ताल तोड़कों व मीडिया के गठजोड़ द्वारा मजदूरों के संगठनों व आंदोलनों को निर्दयतापूर्वक दबाये जाने की पृष्ठभूमि में देखना होगा।

उस दिन, 1 मई, 1886 को अनुमानित लगभग पाँच लाख मजदूर हड़ताल पर थे और समूचे यूनाईट स्टेट्स में रैलियों में शामिल थे। उनकी लड़ाई का उद्घोष था– *''ऐट आवर डे, विद नो कट इन पे'' (बिना किसी वेतन कटौती के आठ घंटे का कार्यदिवस)*

अगली 3 मई को हड़ताली मजदूर शिकागों में मैक्कोमिक हार्वेस्टिंग मशीन कंपनी के पास जमा हुए। पुलिस के 400 जवानों की सुरक्षा में हड़ताल तोड़को ने पिकेट लाइन को तोड़ा और मैक्कोमिंक प्लांट में घुस गये। जब मजदूरों ने हड़ताल तोड़ने वालों का प्रतिरोध किया तो पुलिस ने उन पर गोली चलाई और 6 मजदूरों को वहीं मार डाला।

अगले दिन, 4 मई को हेमार्केट में एक विरोध रैली आयोजित की गई। रैली शांतिपूर्ण थी और इसे आगस्ट स्पीज, अल्बर्ट पार्सन्स और सेमुएल फील्डेन ने संबोधित किया था। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। रैली को संबोधित करते हुए स्पीज ने कहा, ''कुछ हलकों में ऐसी राय है कि इस सभा को दंगा कराने के लिए आयोजित किया गया है इसीलिए तथाकथित कानून –व्यवस्था के नाम पर यह युद्ध के जैसी तैयारी की गयी है'' . . . इस सभा का उद्देश्य आठ घंटे आंदोलन की व्याख्या करना और इससे जुड़ी विभिन्न घटनाओं पर रोशनी डालना है।''

रात में लगभग 10.30 बजे भारी पुलिस ने आकर रैली समाप्त करने का आदेश दिया। उस समय आगे बढ़ते पुलिस बल की ओर एक देसी बम फेंका गया जिसमें एक पुलिस वाला मारा गया और 6 अन्य घायल हो गये।

कुल मिलाकर सात पुलिस वाले और चार मजदूर मारे गये। इतिहासकार पॉल एवरिच का कहना था कि पुलिस ने भागते प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ चलायी, बंदूको को फिर से भरकर गोलियाँ चलाई जिसमें चार लोग मारे गये और लगभग 70 घायल हुए। एक अज्ञात पुलिस अधिकारी ने शिकागो ट्रिब्यून को बताया, ''भारी संख्या में पुलिस वाले एक दूसरे की रिलाल्वरों से घायल हुए . . .''

इतने पर भी, 4 मई के *'न्यूयार्क टाइम्स'* ने अपनी हेडलाइन में लिखा था, ''शिकागो की सड़कों पर दंगा व रक्तपात . . . 12 पुलिस वाले मारे गये या मर जायेंगे।' उसने हड़तालियों को ''भीड़'' की संज्ञा दी।

इसके बाद एक कड़ा यूनियन विरोधी शिकंजा कस दिया गया। बिना किसी वारंट की परवाह किये शिकागो पुलिस के दस्तों ने दो महीने तक मजदूर कार्यकर्ताओं पर शारीरिक हमले किये, उनके सभागारों को तोड़–फोड़ कर अस्त–व्यस्त कर दिया।

बम फैंकने वाले व्यक्ति की पहचान व गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बहुत से लागों का मानना था कि बम फेंकने में बदनाम निजी सुरक्षा व जासूसी एजेंसी पिंकरटन का हाथ था।

फिर भी 8 घंटे की कार्यदिवस सीमा के संबंध में मजदूरों की रैलियों को संबोधित करने वाले मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया गया और 11 जून, 1886 को मुकदमा शुरु हुआ। यह मुकदमा,मीडिया के द्वारा मजदूरों के खिलाफ तैयार किये गये अतयन्त ही द्वेषपूर्ण माहौल में चला। जज गैरी ने भी खुले तौर पर मजदूरों के खिलाफ द्वेष दिखाया। जूरी के चुनाव में 3 सप्ताह लगे और लगभग 1000 लोगों को पेश होने के लिए बुलाया गया; सारे यूनियन सदस्यों और समाजवाद के प्रति समर्थन प्रदर्शित करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया गया; और अन्त में 12 सदस्यीय जूरी बैठी जिनमें से अधिकतर मजदूरों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे।

11 नवम्बर, 1887 को एंगेल, फिशर, पार्सन्स और स्पीज को फांसी दे दी गयी। उन्होंने उस समय अंतराष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन का गीत *मारसेली,* गया। फांसी से कुछ क्षण पूर्व स्पीज ने चिल्लाकर कहा, *''वह समय आयेगा जब हमारी चुप्पी उन आवाजों से कहीं ज्यादा तातकवर होगी जिन्हें तुम आज खामोश कर दोगे।*

III

हेमार्केट की घटना के समय, मार्क्स जीवित नहीं थे और इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन (प्रथम इंटरनेशलन) भी नहीं था। इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन (दूसरा इंटरनेशनल) को पुनर्गठित किया गया था जिसने 14 जुलाई, 1889 को पेरिस में अपनी पहली काँग्रेस आयाजित की।

अमेरिकी प्रतिनिधियों से अमेरिका में 8 घंटे के कार्यदिवस के लिए मजदूरों के संघर्ष के बारे में सुनने के बाद और हेमार्केट में मजदूरों के महान संघर्ष और शहादत से प्रेरित काँग्रेस ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया कि, *''काँग्रेस एक महान अंतराष्ट्रीय प्रदर्शन के आयोजन का निर्णय लेती है, ताकि सभी देशों व शहरों में नियत एक ही दिन मेहनतकश आवाम राज्य सत्ताओं से कार्यदिवस में वैधानिक कमी कर उसे 8 घंटे कर किये जाने की और साथ ही साथ पेरिस काँग्रेस के अन्य निर्णयों को लागू किये जाने की माँग*

करेंगे। चूंकि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर द्वारा दिसम्बर, 1888 में सेंट लुई के अपने कन्वेंशन में 1 मई, 1890 के लिए ऐसे ही एक प्रदर्शन का फैसला पहले ही लिया जा चुका था इसलिए 1 मई को अंतराष्ट्रीय प्रदर्शन के दिन के रुप में स्वीकार किया गया। विभिन्न देशों के मजदूरों को हर देश में मौजूद परिस्थितियों के अनुसार अवश्य ही इस प्रदर्शन को आयोजित करना चाहिये।''

कार्ल मार्क्स की अनुपस्थिति और इंटरनेशनल में सुधारवादियों के प्रभुत्व को प्रस्ताव के मसविदे में देखा जा सकता है। यह प्रतिवर्ष मई दिवस पर विश्वव्यापी प्रदर्शन को कार्यदिवस को 8 घंटे की वैधानिक सीमा तक सीमित करता है और उसे 1866 के प्रस्ताव की तरह मजदूरों की 'बेहतरी' व 'मुक्ति' से नहीं जोड़ता ।

तथापि, मई दिवस के दिन विभिन्न राष्ट्र राज्यों के मजदूर वर्ग की एकजुटता कार्रवाई का मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए महान महत्व है। एंगेल्स ने 1 मई,1890 को लिखा, *''जब मैं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ तब यूरोपीय और अमेरीकी सर्वहारा एक फौरी लक्ष्य – कानून द्वारा स्थापित मानक 8 घंटे के कार्यदिवस के लिए जैसा कि 1866 की इंटरनेशनल की जेनेवा काँग्रेस ने प्रतिपादित किया था, के लिए पहली बार लामबंद हुईं, एक फौज के रुप में लामबंद, एक झंडे के नीचे लामबंद अपनी लड़ाकू ताकतों की समीक्षा कर रहा है।''*

तथापि, 1891 में बुसेल्स में हुई अगली काँग्रेस में 1889 काँग्रेस के मई दिवस के प्रस्ताव को संशोधित कर वर्गीय दृष्टिकोण को बहाल किया गया। 8 घंटे के कार्यदिवस के लिए मईदिवस मनाने के 1889 काँग्रेस के फैसले पर जोर देते हुए, इसमें जोड़ा गया कि मईदिवस के प्रदर्शन *'काम के हालातों में बेहतरी', 'राष्ट्रों के बीच शांति सुनिश्चित करने' और 'वर्ग संघर्ष को गहरा करने' के लिए भी होंगे।''*

मईदिवस मनाने के बारे में वर्गीय दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से लेनिन ने नवम्बर, 1990 में *'खारखोव में मई दिवस'* शीर्षक वाली पुस्तिका के आमुख में व्याख्यायित किया। लेनिन ने लिखा, *''अगले 6 महीनों में रुस के मजदूर वर्ग, नई शताब्दी के प्रथम वर्ष की पहली मई को मनायेंगे, और यही समय है जब हमें जितने ज्यादा से ज्यादा केन्द्रों में सम्भव हो,जितने भारी पैमाने पर संभव हो मई दिवस मनाने की तैयारियाँ शुरु करनी हैं, न केवल उनमें भाग लेने वालों की संख्या के हिसाब से बल्कि उनके संगठित चरित्र के हिसाब से जो रुसी जनता की राजनीतिक मुक्ति के अदमनीय संघर्ष को शुरु करने में दिखायी जानी है और, परिणामस्वरुप, सर्वहारा को वर्गीय विकास के मुक्त अवसर और समाजवाद के लिए खुले संघर्ष के लिए।''*

लाल झंडा

जिम कॉनेल का 1886 में प्रकाशित गीत– *'लाल झंडा' (द रेड फ्लेग)* उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए लोकप्रिय बन गया था जिसके तीसरे बंद में शिकागो की घटना का जिक्र इस तरह है– *''घूम कर देखो फ्रांसवासी इसकी दमक को प्यार करते है, – हट्टे–कट्टे जर्मन इसकी प्रशंसा का गुणगान करते हैं, मास्को के मेहराबों में इसके भजन गाये जाते हैं,– शिकागो ने उमड़ते जनज्वार को विशाल बना दिया है।''* लाल वह रंग था जो फ्रांस की क्रांति का प्रतीक था। तथापि, 1871 के पेरिस कम्यून से लाल रंग के झंडे को क्रांतिकारी परम्परा के रुप में प्रयोग में लाया जा रहा है'।

नोटिस

जनरल कांऊसिल सदस्य स्तर की कामकाजी महिला समन्वय समिति की बैठक

तारीख : 6 अगस्त, 2019
समय : 10 बजे सुबह से शाम तक
स्थान : सीटू राज्य समिति कार्यालय, बैंगलौर
भागीदार : सीटू की सभी महिला पदाधिकारी व जनरल कांऊसिल सदस्य, राज्य कामकाजी महिला समन्वय समितियों की संयोजक

– तपन सेन

मई दिवस 2019

{मई दिवस 2019 को पूरे देश में सीटू की इकाइयों, यूनियनों और फेडरेशनों द्वारा अलग–अलग रूपों में मनाया गया है जिसमें झंडे फहराना, बैठकें आयोजित करना, रैलियां निकालना, प्रदर्शन करना आदि शामिल हैं। सीटू केंद्र में प्राप्त कुछ रिपोर्टों का उल्लेख निम्न प्रकार है}

त्रिपुरा

भाजपा के हुड़दंगियों द्वारा अवरोधों के सभी प्रयासों को पराजित करते हुए, त्रिपुरा के सभी जिलों और उपखंडों में मई दिवस 2019 मनाया गया जिसमें सीटू का झंडा फहराया गया और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। बेलोनिया, सबरूम और गंडचेर्रा उपखंडों में रैलियों के बाद नुक्कड़ मीटिंगों का आयोजन किया गया। धर्मनगर, अंबासा और अन्य उपखंडों में, हॉल मीटिंगें आयोजित की गईं।

अगरतला में, लोगों ने अल सुबह क्रांतिकारी गीतों और सस्वर पाठ के साथ प्रभात फेरी में भाग लिया। शाम को रबींदा शतवार्षिकी भवन परिसर में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई। चूंकि भाजपा के नेतृत्व वाली त्रिपुरा सरकार ने इस साल मई दिवस पर सरकारी छुट्टी रद्द कर दी थी, इसलिए चाय बागान के मजदूर पहले की तरह बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। बैठक की अध्यक्षता सीटू के प्रदेश अध्यक्ष माणिक डे ने की और राज्य महासचिव शंकर प्रसाद दत्ता ने संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री, माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य और राज्य के विपक्षी नेता माणिक सरकार मुख्य वक्ता थे। जया बर्मन ने कामकाजी महिलाओं की ओर से बात रखी। वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिजन धर और सीटू राज्य उपाध्यक्ष तपन चक्रवर्ती मंच पर थे।

केरल

प्रदेश अध्यक्ष अन्थालावट्टम आनंदन ने इस अवसर पर विशेष रूप से सजाए गए राज्य केंद्र में सीटू का झंडा फहराया। मई दिवस 2019 को पूरे राज्य में सीटू और एटक द्वारा संयुक्त रूप से मजदूरों की अच्छी भागीदारी के साथ मनाया गया।

तिरुवनंतपुरम में, पालयम से पुथरीकंदम मैथनम तक जुलूस में 10,000 से अधिक मजदूर शामिल हुए। जनसभा का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष अन्थालावट्टम आनंदन ने किया। राज्य महासचिव एलामरम करीम ने कोझीकोड शहर में जनसभा को संबोधित किया।

मई दिवस कार्यक्रम कोल्लम में 17, पठानमथिट्टा में 9, कोट्टायम में 10, अलाप्पुझा में 13, एर्नाकुलम में 22, त्रिषूर में 16, पलक्कड़ में 14, मलप्पुरम में 17, कोझीकोड में 13, वायनाड में 4, कन्नूर में 17 और कासरगोड जिलों में कई केंद्रों पर आयोजित किया गया।

तमिलनाडु

सीटू की मई दिवस की घोषणा का तमिल में अनुवाद किया गया और इसे सीटू पत्रिका सीथी और थीक्काथिर दैनिक में प्रकाशित किया गया। मई दिवस पर सीटू और एटक का एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। राज्य की सभी यूनियनों ने लाल झंडा फहराया। सीटू और एटक ने संयुक्त रूप से मई दिवस को जिलों में मनाया जिसमें रैलियां निकालीं और सीटू एवं एटक नेताओं ने जनसभाऐं संबोधित की गयी। सीटू के राष्ट्रीय और राज्य के नेताओं ए.के. पद्मनाभन, टी.के. रंगराजन, जी. रामकृष्णन, के. बालाकृष्णन, जी. सुकुमारन, आर. सिंगारवेलु, मालती चित्तीबाबु, वी. कुमार ने भाग लिया और मई दिवस की रैलियों को संबोधित किया।

पंजाब

मई दिवस 2019 पंजाब और चंडीगढ़ में 50 स्थानों पर रैलियों और जनसभाओं को आयोजित करके मनाया गया था, जिसमें मजदूर वर्ग का आह्वान, जनविरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों और सांप्रदायिक फासीवाद को हराने के लिए किया गया। इन रैलियों को सीटू राज्य और राष्ट्रीय नेताओं रघुनाथ सिंह, उषा रानी और अन्य ने संबोधित किया।

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

सीटू और अराजपत्रित सरकार ऑफिसर्स एसोसिएशन (एनजीओए) ने संयुक्त रूप से मई दिवस 2019 पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मनाया। पोर्ट ब्लेयर में जुलूस की शुरुआत फीनिक्स बे के क्रूसेड हाउस परिसर से हुई, और तिरंगा पार्क पर पहुँचकर जन सभा हुई जिसको सीटू के राज्य महासचिव बी. चंद्रचूडन, अध्यक्ष एम. बोमीनाथन, एनजीओए के महासचिव टी.एस. श्रीकुमार और अन्य ने सम्बोधित किया।

मई दिवस की रैलियां भी निकाली गईं और डिगलीपुर, रंगत, कदमताला, लिटिल अंडमान, कामोर्ता, कच्छल और कैंपबेल बे में जनसभाएं आयोजित की गई।

नोटिस

सीटू जनरल काउंसिल की बैठक

7–10 अगस्त, 2019; हासन, कर्नाटक

सीटू जनरल काउंसिल की बैठक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगीः

तिथियाँः 7–10 अगस्त, 2019

समयः 7 अगस्त की सुबह 10 बजे से – 10 अगस्त, 2019 की दोपहर 12 बजे तक

स्थानः कर्नाटक में हासन, (सटीक स्थल को बाद में सूचित किया जाएगा)

एजेंडाः 1. अध्यक्षीय भाषण; 2. महासचिव की रिपोर्ट; 3. चुनाव के बाद की स्थिति की समीक्षा; 4. गतिविधियों का भावी कार्यक्रम; 5. पी.आर. भवन में ट्रेड यूनियन शिक्षा कार्यक्रम; 6. सीटू का 16वाँ सम्मेलन और संबंधित मुद्दों; 7. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मुद्दा।

ध्यान दें

1. जनरल कौंसिल मीटिंग के समापन के बाद खुला सत्र होगा;

2. प्रत्येक जीसी सदस्य प्रतिनिधि शुल्क रु० 1,200 का भुगतान करेगा;

3. सभी जीसी सदस्यों से 6 अगस्त शाम तक हासन तक पहुँचने का अनुरोध किया जाता है;

4. बैंगलोर से हासन 180 किलोमीटर की दूरी पर है; बैंगलोर, मैंगलोर और मैसूर से रेल सेवाएं हैं; यह बस सेवा द्वारा भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

संपर्क करें

अध्यक्षः एस. वरालक्ष्मी (मोबाइलः 9448087189),

महासचिवः मीनाक्षीसुंदरम (मोबाइल 9448070267),

सीटू की कर्नाटक राज्य कमेटी

सूरी भवन, नंबर 40/5, 16वीं क्रॉस रोड, 2 बी मेन;

संपांगीराम नगर, बैंगलोर – 560027

फैक्सः 080–22111239, फोनः 080–22111307

ईमेलः citukn@gmail.com

– तपन सेन, महासचिव

उद्योग एवं क्षेत्र

ईंट भट्ठा

लाखों ईंट भट्ठा मजदूरों के रोजगार के खात्मे का खतरा

जब देश 17वें आम चुनाव में पूरी तरह से लगा था, तो निवर्तमान मोदी सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चुपचाप 25 फरवरी, 2019 को एक गजट अधिसूचना जारी की, जिसमें 60 दिनों के भीतर जनता की राय मंत्रालय के कदम पर माँगी गई थी। (1) सभी कोयले/लिग्नाइट पावर प्लांटों के 300 किलोमीटर के दायरे में नई लाल मिट्टी के ईंट भट्टों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की अंतिम अधिसूचना; और (2) इन क्षेत्रों में सभी मौजूदा लाल मिट्टी ईंट भट्टों को कोयला राख आधारित विनिर्माण सुविधाओं में परिवर्तित करना।

जनता से राय माँगने से ठीक एक पखवाड़े पहले ही चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की घोषणा और जारी की गई चुनाव प्रक्रिया के दौरान औपचारिकताओं को कानूनी आवश्यकताओं के रूप में पूरा करने के लिए जारी किया था।

इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद को दरकिनार करने के लिए, मंत्रालय ने एक संदिग्ध तरीका अपनाया। इसने 14 सितंबर 1999 के दो दषकों पुराने परिपत्र में संशोधन करके पिछले दरवाजे के माध्यम से इन फैसलों को लागू करने का प्रस्ताव दिया।

यदि यह निर्णय लागू किया जाता है, तो देष भर में अधिकांष लाल मिट्टी के ईंट भट्टों को बंद कर दिया जाएगा, जिससे ईंट भट्ठा उद्योग में लगे अनुमानित 1 करोड़ कम–विषेशाधिकार प्राप्त अधिकांष पीस रेट मजदूरों को प्रभावित करेगा; और जनता को सबसे सस्ती निर्माण सामग्री लाल मिट्टी की ईंट से वंचित किया जाएगा।

सरकार इन क्षेत्रों में विद्यमान ईंट भट्ठों को कोयला बनाने वाली राख को बांधने के वास्ते सीमेंट का उपयोग करते हुए ईंटों, ब्लॉकों, टाइलों, छत षीटों के निर्माण में बदलने का प्रस्ताव करती है। प्रस्ताव में ईंट भट्टों को एक वर्श के भीतर मानव श्रम की जगह मशीनों द्वारा संचालित कारखानों में परिवर्तित करना है। ईंट भट्टों का संचालन मौसमी है, लेकिन इस तरह के कारखाने साल भर काम करेंगे। यह स्पष्ट है कि इरादा ही यह है कि ज्यादातर लाल मिट्टी के ईंट के भट्टे बंद ही करना है।

सीटू राजस्थान राज्य कमेटी की पहल

सीटू राजस्थान राज्य कमेटी ने नौकरियों को बचाने, ईंट भट्ठा उद्योग को बचाने और केंद्र सरकार के कदम का कड़ा विरोध किया; मजदूरों को इस मुद्दे के बारे में समझाने वाली बैठकें की; रैली निकाली और स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपे। इसने केंद्र सरकार को विरोध पत्र भेजा। श्री गंगानगर में मई दिवस की बैठक के बाद, हजारों ईंट भट्ठा और अन्य मजदूरों का एक जुलूस निकाला जो जिला प्रशासन के समक्ष पहुँचकर एक प्रदर्शन में बदल गया और ईंट भट्ठा मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया।

29 मई को जयपुर में रैली

श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ अन्य जिलों से आने वाले सीटू के राजस्थान ईंट भट्ठा मजदूर संघ के 1000 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता और मजदूर; 29 मई को जयपुर में एक राज्य स्तरीय रैली आयोजित की गई जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लाल मिट्टी ईंट भट्ठा पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना का विरोध किया गया।

उनके साथ, नीमराणा से ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता भी, जापानी बहुराष्ट्रीय डाइकिन द्वारा ट्रेड यूनियन अधिकारों के नकारने और उत्पीड़न के विरोध में इस रैली में शामिल हुए थे।

मजदूरों ने शहीद स्मारक से जुलूस आरम्भ किया और मुख्यमंत्री के समक्ष सिविल लाइंस गेट पर रैली, प्रदर्शन और जनसभा की और उनके हस्तक्षेप की माँग की। बैठक को सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र शुक्ला, महासचिव वी.एस. राणा और इसके अन्य पदाधिकारियों, ईंट भट्ठा मजदूर यूनियन के नेताओं, नीमराणा के यूनियन नेताओं और डाइकिन के नेताओं और अन्य लोगों ने संबोधित किया।

मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सीटू, ईंट भट्ठा यूनियन और डाइकिन यूनियन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधिमंडल उनके ओएसडी से मिला और दो ज्ञापन सौंपे।

एक ज्ञापन में, सीटू ने केंद्र सरकार की 25 फरवरी की अधिसूचना के मद्देनजर राजस्थान में लगभग एक लाख ईंट भट्ठा मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा की माँग की और अधिसूचना का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार को तत्काल लिखने की माँग की।

अन्य ज्ञापन में, सीटू ने डाइकिन मजदूरों के मुद्दों पर सरकार और सीटू के बीच 25 अप्रैल के समझौते को तत्काल लागू करने की माँग की, जिसमें उनके बहाली, 8–9 जनवरी, 2019 की मजदूरों राश्ट्रीय आम हड़ताल में षामिल होने के दौरान डाइकिन के हड़ताली मजदूरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर न्यायिक जाँच के गठन है। और मजदूरों के खिलाफ नीमराना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए झूठे मुकदमों को वापस लेना है। ओएसडी ने मुख्यमंत्री के साथ मुद्दों को तत्काल उठाने का आष्वासन दिया।

सीटू की अखिल भारतीय पहल

सीटू की राजस्थान राज्य कमेटी से रिपोर्ट मिलने पर, सीटू महासचिव ने केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लिखे पत्र में, इस मुद्दे को तेजी से शामिल करने के इस कदम का कड़ा विरोध किया।

अपने पत्र में तपन सेन ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह चुनाव से ठीक पहले केवल एक निजी बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी अडानी की अडानी पावर लिमिटेड और दूसरी सबसे बड़ी निजी बिजली उत्पादक कंपनी अम्बानी की रिलायंस पॉवर लिमिटेड की मदद करके पूंजीवाद से भाई–बन्दी का काम प्रदर्शित कर रही है।

सीटू ने मोदी सरकार के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद को दरकिनार करने की कोशिश की निंदा की; और कहा कि यह 1999 की अधिसूचना में संषोधन करके एक कार्यकारी आदेष द्वारा पिछले दरवाजे के माध्यम से अपने इस निर्णय को लागू करना।

सीटू ने मोदी सरकार पर इस कदम के लिए श्रम मंत्रालय से परामर्ष किए बिना और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की अनदेखी करने का आरोप लगाया जबकि सरकार के इस कदम के कारण लाखों सबसे कम–विषेशाधिकार प्राप्त ईंट भट्ठा मजदूरों पर उनकी रोजी खो जाने का खतरा है।

सीटू ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि इस कदम के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श को भी नजरअंदाज किया गया है, जिन्हें और उनके तहत सीधे तौर पर जिला मजिस्ट्रेटों को भी इन फैसलों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, यह कदम देश की संघीय व्यवस्था पर एक और हमले को दर्शाता है।

एक अलग पत्र में सीटू महासचिव ने चुनाव से ठीक पहले ऐसे बड़े फैसले लेने वाली निवर्तमान मोदी सरकार पर चुनाव आयोग का ध्यान खींचा, जो कि नियमित प्रशासनिक उपायों को लागू करने के इरादे से चल रही चुनाव प्रक्रिया के दौरान राय माँगी गई थी।

शोक संदेश

कॉमरेड एन. वेंकटेश्वरलू

कैंसर के कारण लंबी बीमारी के बाद 7 मई, 2019 को हैदराबाद के एक अस्पताल में कॉमरेड एन. वेंकटेश्वरलु के निधन पर सीटू ने दुखः व्यक्त किया।

कॉमरेड एन. वेंकटेश्वरलु, जिन्हें किरण के नाम से जाना जाता है, अविभाजित आंध्र प्रदेश में संयुक्त विद्युत कर्मचारी संघ के महासचिव और उसके बाद तेलंगाना में थे; इलेक्ट्रीसिटी एम्पलाईज फेडरेशन ऑफ इडिया (ईईएफआई) के एक पदाधिकारी और सीटू जनरल काउंसिल के सदस्य थे। कॉमरेड एन. वेंकटेश्वरलु माकपा के सक्रिय सदस्य थे।

ईईएफआई ने अलग से अपना दुख व्यक्त किया है और कॉमरेड एन. वेंकटेश्वरलु के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसके 7वें और 8वें सम्मेलनों में वे दो बार ईईएफआई के राष्ट्रीय पदाधिकारी चुने गए। अविभाजित आंध्र प्रदेष में ईईएफआई यूनियन का विस्तार उनके नेतृत्व में और उनके नेतृत्व वाली टीम में किया गया था। ईईएफआई ने यूनियन के उनके साथियों के और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मजदूरों – किसानों की एकता

पेप्सीको के बहिष्कार का राष्ट्रव्यापी आह्वान

अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) द्वारा पेप्सीको उत्पादों खासतौर पर आलू के चिप्स 'लेज' का बहिष्कार करने के आह्वान के साथ एकजुटता में सीटू ने भी 26 अप्रैल को बहिष्कार का आह्वान किया है। जिसमें अमेरिकी बहुराष्ट्रीय पेय कंपनी के हमले के खिलाफ गुजरात के संघर्षरत आलू किसान भी शामिल हैं।

पेप्सिको ने गुजरात के 11 आलू किसानों के खिलाफ अहमदबाद की एक अदालत में एक मामला दायर किया था जिसमें प्रत्येक किसान से रु०.1.05 करोड़ के मुआवजे की माँग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये किसान एफसी–5 किस्म के आलू की खेती कर रहे हैं, जिस पर पेप्सिको को ''देश में विशेष अधिकार 2016'' प्राप्त है। एआईकेएस ने कहा कि पेप्सिको का रुख 'प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001' का उल्लंघन में है।

एआईकेएस ने 25 अप्रैल 2019 को अपने बयान में कहा कि इसने अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर पहले ही प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी (पीपीवी एंड एफआरए) से संपर्क किया था और इसके तत्काल हस्तक्षेप की माँग की थी। बयान में कहा गया, ''विश्व व्यापार संगठन के तहत किसानों के कॉर्पोरेट शोषण का यह एक परीक्षण मामला है।''

पेप्सीको के अन्य आलू उत्पादों ''लेज'' पर एआईकेएस के आह्वान के साथ समन्वय में देश भर में बहिष्कार आंदोलन को सक्रिय रूप से आयोजित करने के लिए सीटू ने पूरे मजदूर वर्ग और उनके ट्रेड यूनियनों का आह्वान किया है।

पेप्सिको पीछे हटा

पेप्सी उत्पादों के बहिष्कार ने जनता का सहज समर्थन हासिल किया और कंपनी पर दबाव बनाया। अंततः पेप्सिको ने किसानों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का इरादा व्यक्त किया।

3 मई को एक बयान में, एआईकेएस ने कहा कि यह बीज स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए किसानों के संघर्श में एक महत्वपूर्ण जीत है और इस कारण के साथ खड़े होने वाले किसानों और संगठनों को बधाई दी।

हालांकि, अभी तक कुछ भी ठोस नहीं किया गया। एआईकेएस ने गुजरात सरकार से कंपनी के साथ होने वाली बातचीत के बारे में सार्वजनिक रूप से बताने की माँग की है। एआईकेएस ने पेप्सिको से बिना षर्त माफी की माँग की और किसानों के लिए अनुकरणीय मुआवजा और कंपनी के इनकार के मामले में लाइसेंस रद्द करने सहित इसके खिलाफ निवारक कार्रवाई की माँग की है।

इस प्रकरण से सामने आये मुद्दे

यह प्रकरण कुछ मुद्दों को सामने लाया है जो किसानों को धमकी दे रहे हैं। एक तो शिकारी कृषि व्यवसाय है जो कानूनों और किसानों के बीज अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन करके कृषि को कब्जाना चाहता है।

'पौधों की विविधता और किसानों का अधिकार अधिनियम, 2001' (पीपीवीएफआर अधिनियम) की धारा 39 (1) (4) में कहा गया है, ''इस अधिनियम में शामिल कुछ भी होने के बावजूद – एक किसान को रक्षा करने, उपयोग करने, बोने, पुनः प्राप्त करने का हकदार माना जाएगा – इस अधिनियम के तहत संरक्षित इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के बीज सहित अपने कृषि उत्पाद की बिक्री, विनिमय, शेयर या बिक्री, जिस तरह से वह इस अधिनियम के लागू होने से पहले हकदार थे, बशर्ते कि किसान इस अधिनियम के तहत संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज बेचने का हकदार नहीं होगा।"

एआईकेएस ने माँग की है कि राज्य और केंद्र सरकारें इस खंड का कड़ाई से पालन करें और इसके अनुरूप किस्मों के पंजीकरण के लिए नुक्सरहित तंत्र स्थापित करें।

प्रभावी मूल्य नियंत्रण की भी आवष्यकता है, अवैध बीज व्यापार को रोकना, ठेके पर खेती की निगरानी, बीज के पता लगाने की व्यवस्था और कृशि व्यवसाय और व्यापार की निगरानी।

राज्यों से

छत्तीसगढ़

भिलाई में सीटू नेता पर जानलेवा हमला

बी. सान्याल

भिलाई स्टील प्लांट में सीटू से संबद्ध ठेकेदार मजदूर यूनियन के महासचिव और सीटू छत्तीसगढ़ राज्य समिति के सदस्य योगेश सोनी पर, जब वह 7 मई की अलसुबह काम पर जा रहे थे, एक किराए के आपराधिक गिरोह द्वारा हमला किया गया। उन्हें बार–बार चाकू मारा गया। अधिक खून बहने पर सोनी सड़क पर गिर गए और हमलावर भाग गए। जबरदस्त साहस और धैर्य का प्रदर्षन करते हुए, सोनी ने खुद को खींच लिया और उन्हें तुरंत सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया। उनकी जान बच गई।

विरोध में सीटू ने थाने का घेराव किया और उच्च पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की माँग की। भिलाई की लगभग सभी ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन का आयोजन किया। सीटू राज्य केंद्र ने भी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की माँग की।

आंदोलन के परिणामस्वरूप, ठेकेदार सुधांशु खंडेलवाल, सुपरवाईजर गोविंद साहू, साजिशकर्ता वाई. नागराज और चीकू हियाल सहित भाड़े के हमलावरों नागार्जुन और आर. सैमुअल और कई शड्यंत्रकारियों को को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य हमलावर के. बेंजामिन फरार है। उनमें से अधिकांश का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है।

ठेकेदार ने कई अपराधियों को मजदूरों के रूप में भर्ती किया हुआ है जो मजदूरों के लोकतांत्रिक अधिकारों और शोषण के विरोध में आंदोलन को दबाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। किराए के गुंडों के माध्यम से सोनी पर यह जानलेवा हमला न केवल सोनी के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक स्पष्ट खतरा है जो भिलाई स्टील प्लान्ट (बीएसपी) में ठेका कर्मियों के लिए सीटू के नेतृत्व वाले संघर्ष में सबसे आगे हैं।

बीएसपी में ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान सहित उनके कानूनी अधिकारों और वेतन पर्ची, पीएफ, पर्याप्त सुरक्षा आदि लाभों से वंचित किया जा रहा है। सीटू यूनियन श्रम कानूनों और ठेका मजूदरों के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए लंबे समय से संघर्षों का नेतृत्व कर रही है। इस वजह से, बीएसपी प्रबंधन और ठेकेदार का गठजोड़ भयभीत हो गया है। सोनी पर हुए इस भीषण हमले को ठेकेदारों और बीएसपी प्रबंधन ने मिलकर अंजाम दिया। यह हमला सिर्फ उसे धमकाने के लिए नहीं था बल्कि उसे शारीरिक रूप से खत्म करने के लिए था।

बीएसपी प्रबंधन ने ठेकेदार की अवैध गतिविधियों की कई षिकायतों के बावजूद उसे ब्लैकलिस्ट करने से मना कर रहा है। यह बीएसपी में प्रबंधन–ठेकेदारों की नाजायज सांठगांठ की ओर इशारा करता है। सीटू ने ठेकेदारों को आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ काली सूची में डालने और उन्हें संरक्षण देने वाले बीएसपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग दोहराई। सीटू ने बीएसपी में ठेका मजदूरों के संबंध में श्रम कानूनों के पालन की अपनी माँग को दोहराया और कहा है कि सभी ठेका श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण सुनिश्चित किया जाए। *(बी. सान्याल छत्तीसगढ़ सीटू के प्रदेश अध्यक्ष हैं)*

महाराष्ट्र

कराड की जिलाबदरी के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का संयुक्त विरोध

विवेक मोंटेरो

सीटू केन्द्र ने अस्पष्ट बोम्बे पुलिस एक्ट, 1951 के तहत 17 अप्रैल, 2019 को डॉ० डी.ए. कराड के खिलाफ नासिक, थाणे व अहमदनगर जिलों के बाहर रहने के अवैध जिला बदर के आदेश जारी करने की प्रतिशोधात्मक पुलिस कार्रवाई की निन्दा की और महासचिव तपन सेन ने 18 अप्रैल को इसके विरोध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। डॉ० कराड सीटू के राज्य अध्यक्ष, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सीपीआइ (एम) के अग्रणी सदस्य हैं। यह पुलिस कार्रवाई देश में जारी आम चुनावों के दौरान उद्योगपतियों के कहने और राजनीतिक कारण से की गयी।

कराड नासिक व उसके आस–पास के जिलों में वैध ट्रेड यूनियन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कारखाना मालिकों की आँख की किरकिरी बने हुए हैं। जिला बदर करने के आदेश में लगाये गये आरोप अधिकतर मजदूरों की माँगों व मालिकों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लखनों की शिकायतों पर उनके मोर्चे व आंदोलन चलाने के है। जिलों से बाहर करने के आदेश में 'एक गुप्त गवाह' के द्वारा 'हिंसा की धमकी' की मनगढंत शिकायत का सहारा लिया गया है।

संबंधित पुलिस प्रशासन की समूची कार्रवाई राजनीति से भी प्रेरित है क्योंकि डिंडोरी लोकसभा क्षेत्र से सीपीआइ (एम) का उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें नासिक भी शामिल है। महाराष्ट्र सरकार, नाासिक पुलिस, स्थानीय राजनीतिकों व बेईमान मालिकों की यह यूनियन विरोधी साजिश स्पष्ट रुप से इन जिलों में सीटू के बढ़ते प्रभाव को रोकना है।

सीटू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी ने इस हमले का जबाव देते हुए नासिक, सोलापुर, मुंबई व अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन किये। ट्रेड यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी (टीयूजेएसी) का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें टीयूजेएसी के सह संयोजक वी. उटागी, सीटू के महेन्द्र सिंह, विवेक मोंटरो,सईद अहमद व के.आर. रघु, एच एम एस के धूमल; एनटीयूआइ के एम.ए. पाटिल व एन वासुदेवन; एटक के उदय चौधरी शामिल थे, 18 अप्रैल को महाराष्ट्र पुलिस के संयुक्त निदेशक से मिला और ज्ञापन दिया। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि जिलों से बाहर करने की कार्रवाई अवैध व दुर्भाग्यपूर्ण है और निहित स्वार्थों के उकसाने पर की गयी है।

पत्र में कहा गया कि नोटिस जारी करने के समय से स्पष्ट है कि ऐसा जानबूझकर किया गया हे ताकि डॉ० कराड को लोकसभा चुनाव अभियान व आने वाले महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव में भागीदारी से रोका जा सके।

टीयूजेसी ने डॉ० कराड के खिलाफ की गई कार्रवाई को बिना शर्त वापिस लेने तथा इस कार्रवाई करवाने वाले श्रम विरोधी निहित स्वार्थों के खिलाफ कार्रवाई की माँग की। अन्य राज्यों से भी बहुत सी यूनियनों ने महाराष्ट्र राज्य कमेटी को एकजुटता पत्र भेजे।

लगभग एक वर्ष पूर्व, जून 2018 में, नासिक पुलिस द्वारा डॉ० कराड के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किये जाने के खिलाफ महाराष्ट्र के सभी औद्योगिक केन्द्रों में प्रदर्शन किये गये थे। सीटू यूनियनों के साथ कामगार संगठना संयुक्त कृति समिति, महाराष्ट्र (टीयूजेएसी) के बैनर तले सभी ट्रेड यूनियनें झूठे मुकदमें के खिलाफ आगे आयी थीं।

उस समय जेएसी ने महाराष्ट्र सरकार के लिखे संयुक्त पत्र में कहा था; ''के.एस.ए.एस.के.एस., महाराष्ट्र सरकार द्वारा मजदूर के ट्रेड यूनियन अधिकारों पर कानून–व्यवस्था मशीनरी के दुरुपयोग किये जाने को गंभीरता से लेती है। इसका ताजा उदाहरण नासिक पुलिस द्वारा सीटू की महाराष्ट्र राज्य समिति के अध्यक्ष डॉ० डी एल कराड व एक छोटे कारखाने के मजदूरों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा है जिसमें झूठे गंभीर आरोप लगाये गये है जिनमें धारा 307 के तहत 'हत्या की कोशिश' भी शामिल है जबकि मामला मामूली धक्का–मुक्की का था जिसमें किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आयी थी। दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक नजर

डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यह वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेताओं को उत्पीड़ित करने के लिए पुलिस प्राधिकार का दुरुपयोग है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप डॉ० कराड के ऊपर लगाये गये आरोपों को वापिस लेने का तथा अन्य मजदूरों पर लगाये गये झूठे 307 के मामले को भी हटाने का निर्देश नासिक पुलिस को दें।

ट्रेड यूनियनों पर हमले करने और ट्रेड यूनियन संगठनों को रोकने की भाजपा– शिवसेना सरकार की साजिश बेरोकटोक जारी है। डॉ० कराड के विरुद्ध जिला बदर का कारण बताओ नोटिस झूठे आरोपों से भरा पड़ा है और इस तथ्य के प्रति मौन है कि उनके खिलाफ बनाये गये सभी झूठे मामलों में अदालत ने उन्हें सम्मानपूर्वक दोषमुक्त किया है। सुनवाई के दौरान, जो कि यह सब लिखे जाने तक भी जारी है, डॉ० कराड ने कारण बताओ नोटिस में भरे झूठों को स्पष्ट करते हुए उसके अवैध होने का विस्तार से जबाव दिया है। *(विवेक मोंटरो सीटू की महाराष्ट्र राज्य समिति के सचिव हैं)*

तमिलनाडु

एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, पुलिस व पक्षपाती कोर्ट

मजदूरों को बचाने के लिए सीटू नेता की गिरफ्तारी

दक्षिण कोरियाई ऑटो कंपनी हुडई की सह–कंपनी हवाशी के प्रबंधन और एडिशनल डीएसपी के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने 19 मई की मध्यरात्रि को कांचीपुरम स्थित शोवेल इंडिया के परिसर पर धावा बोला और सीटू के जिला नेताओं, सचिव ई मुथुकुमार व एस कन्नन को तथा प्रबंधन को कारखाने से मशीनों को जबरन हटाने से रोकने के लिए वहाँ मौजूद सभी मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। मुथुकुमार को जेल भेजा गया और बाद में जमानत पर रिहा किया गया। गिरफ्तार मजदूरों को पुलिस कैद से अगले दिन छोड़ा गया।

शोवेल, हवाशी के लिए कारों के शीशे बनाती है। इसमें 151 स्थयी 30 अन्य मजदूर काम करते हैं। मार्च, 2019 से दक्षिण कोरियाई प्रबंध निदेशक चोई युंगशुक भारी कर्ज का बोझ छोड़कर भागा हुआ है जिसमें जीएसटी 26 करोड़ रुपये, मजदूरों की भविष्य निधि के बकाया 34 करोड़ रुपये निजी कर्जदाताओं के बकाया समेत वैधानिक बकाया व मजदूरों के बकाया शामिल है। तब भी मजदूरों ने अपने आपको पालियों में उत्पादन प्रक्रिया के साथ जोड़े रखा और अपने रोजगार व कंपनी को बचाने के लिए गतिविधियों का प्रबंधन किया।

लेकिन, हवाशी का प्रबंधन शोवेल कंपनी के परिसर से सारी मशीनरी व उपकरणों को हटाना चाहता है। मजदूरों व यूनियन ने विरोध करते हुए ऐसी कोशिशों का प्रतिरोध किया है। सीटू ने मजदूरों के वेतन का विवाद उठाया जिसे कंसीलिएशन में रखा गया। 28 अप्रैल को डीएलसी के सामने हवाशी के प्रबंधन व सीटू के नेतृत्व वाली यूनियन के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये कि मैनेजिंग डायरेक्टर के वापिस आने तक शोवेल में उत्पादन बंद नहीं किया जायेगा।

लेकिन, उसी दिन हुंडई के उकसाने पर प्रबंधन ने कोर्ट में पुलिस सुरक्षा के लिए याचिका दायर की। इसमें सीटू नेतृत्व व मजदूरों की ओर से धमकी का आरोप लगाते हुए शोवेल फैक्टरी से मशीनरी को हटाने के लिए प्रबंधन की मदद किये जाने की बात कही गयी। पक्षपाती कोर्ट ने यूनियन को सुना तक नहीं और ठीक अगले दिन, सीटू के नेताओं व मजदूरों पर आपराधिक कार्रवाईयों का आरोप लगाते हुए प्रबंधन के पक्ष में आदेश जारी कर पुलिस को निर्देश दिया कि वह एक एडिशनल डीएसपी की देखरेख में मशीनों को हटवाये।

सरकार और कोर्ट ने हुंडई के सहअपराधी शोवेल के भगोड़े विदेशी प्रबंधक, सरकार के वैधानिक विशाल बकायों, मजदूरों के बकायों का नोटिस तक नहीं लिया और फैक्टरी को छिन्न–भिन्न करने तथा भूखे रह कर अपने वेतन बकायों, रोजगार मशीनों व कंपनी की सुरक्षा कर रहे मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया।

यह तमिलनाडु सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों तथा सरकार, पुलिस प्रशासन व कोर्ट की बहुराष्ट्रीय कंपनी व मजदूरों के विरुद्ध उसकी शोषणकारी नीतयों को बचाने के लिए मिली भगत का उदाहरण है। *(योगदानः के सी गोपीकुमार)*

चेन्नै मेट्रो रेल

मजदूरों की हड़ताल; बरर्वास्त मजदूर बहाल

केन्द्र व तमिलनाडु सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी चेन्नै मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) के 250 स्थायी कर्मचारियों ने भत्ते वापिस लिए जाने, कम वेतन तथा मौजूदा छुट्टी की सुविधाओं को वापिस लिए के फौरी मुद्दों को लेकर सीएमआरएल मुख्यालय के बाहर 10 दिन तक धरना दिया। प्रबंधन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मजदूरों ने तब सीटू से संपक्र कर 5 अगस्त, 2018 को हुई आम सभा में सीएमआरएल एम्पलाइज यूनियन का गठन सीटू के राज्य अध्यक्ष ए. सौंदरराजन को अपना अध्यक्ष चुना। डीआरईयू के उपाध्यक्ष आर. इलांगोवन को अपना उपाध्यक्ष और अपने बीच 7 अन्य पदाधिकारियों को चुना व सीटू से संबंद्ध हो गये।

नवगठित यूनियन ने प्रबंधन को कई ज्ञापन दिये प्रतिनिधिमंडल भेजे परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। नवम्बर, 2018 में जब प्रबंधन ने स्टेशन नियंत्रकों के पदों को आऊटसोर्स करने का प्रयास किया तो सौंदारराजन ने 100 एम्पेनल्ड उम्मीदवारों को पहले भर्ती करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश की ओर ध्यान दिलाते हुए और कोर्ट की अवमानना कर पदों को आऊटसोर्स न करने पर जोर देते हुए प्रबंधन को पत्र लिखा। गुस्साये प्रबंधन ने 3 दिसम्बर को सभी सात पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया।

यूनियन ने 24 जनवरी को हड़ताल का नोटिस दिया; लेबर कमिश्नर ने समाधान के लिए विवाद को रख यथास्थिति बनाये रखने की सलाह दी। 23 अप्रैल को राज्य श्रमायुक्त ने यूनियन को केन्द्रीय श्रमायुक्त (सीएलसी) से समाधान पाने की सलाह दी। तब, सीएलसी (सी) ने यूनियन को राज्य श्रमायुक्त से समाधान पाने को कहा। तब यूनियन, उचित सरकार पर फैसले तथा कर्मचारियों पर किसी भी कार्रवाई से बचाव के लिए अंतररिम रोक के लिए यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया तथापि, इस समय तक सीएमआरएल प्रबंधन ने सभी सात पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया।

मजदूर जन प्रतिनिधिमंडल के रुप में एमडी के पास गये और उसके मिलने से मना करने पर एक दिन के धरने और फिर पूर्ण हड़ताल पर चले गये। तीन कर्मचारियों को, जो केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष में थे, प्रबंधन के गुंडों द्वारा पीटा गया जिन्हें पुलिस की मदद से बचाया गया। एक एफआईआर दर्ज करायी गई। उन्हें निलंबित कर दिया गया।

स्वंय संज्ञान लेते हुए राज्य श्रमायुक्त ने समाधान बैठक बुलाई और कहा कि समाधान की प्रक्रिया के चलते बिना समाधान अधिकारी के अनुमोदन के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को निलंबित व बर्खास्त करने की कार्रवाई अवैध है। समाधान बैठक असफल रही आगे हड़ताल जारी रही।

सीएमआरएल प्रबंधन को आऊटसोर्सिंग की मदद के बावजूद ट्रेनों के संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल को मीडिया में व्यापक कवरेज मिला। प्रबंधन ने बैंगलोर से मैनपॉवर मंगायी।

1 मई को समाधान बैठक में एक समझ बनी। यह रास्ता निकाला गया कि बर्खास्त कर्मचारी पुनः बहाली के लिए अपील करेंगे, प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद वह उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। निलंबित हुए तीन कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच जारी रहेगी; और शेष विवादों को समाधान की प्रक्रिया में निपटाया जायेगा। बाद में यूनियन की आम सभा ने हड़ताल को वापिस लेने का फैसला किया।

2 मई को यूनियन के 7 पदाधिकारियों ने अपनी अपील दाखिल कर अपना काम सभाल लिया।

पृष्ठभूमि

यद्यपि सीएमआरएल सार्वजनिक क्षेत्र में है लेकिन उसे वर्तमान केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा मुनाफाखोर निजी कारपोरेट की तरह चलाया जा रहा है।

सीएमआरएल के पास इंडस्ट्रियल एम्पलायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर) एक्ट के तरह कोई पंजीकृत स्टैंडिंग आर्डर नहीं है। इससे अलग इसके पास एक मनमाना प्राइवेट 'एच आर मेन्युअल' है जिसे उसके बोर्ड ने बनाया है जिसमें प्रावधान है कि एमडी उसमें काट–छाट बदलाव कर सकता है या कोई नियम जोड़ सकता है।

शुरुआत में ये 250 कर्मचारी ट्रेन आपरेटरों, स्टेशन कंट्रोलरों, ट्रैफिक कंट्रोल, जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन आदि पदों पर थे। विभिन्न विभागों में सफाई कर्मी, टिकट स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ व सहायकों के रुप में 600 ठेके के कर्मचारी भी हैं। शुरु में स्थायी कर्मचारी ट्रेन आपरेटरों के रुप में ट्रेनों का संचालन कर रहे थे। अब उनको 170 आऊटसोर्स कर्मियों से बदल दिया गया है। वर्तमान में सभी ट्रेन ड्राईवर्स व या ट्रेन आपरेटर ठेके के कर्मचारी है। ठेका कर्मियों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, काम के हालात बदतर है और वे सभी श्रम कानूनों के प्रावधानों से वंचित हैं। छंटनी के डर के कारण ठेका मजदूरों की यूनियन भी नहीं है।

अन्य मेट्रो रेलों की तरह सीएमआरएल के स्थायी मजदूरों को दूसरी वेतन पुर्ननिधारण समिति का वेतन ढांचा दिया गया है। वे 35 प्रतिशत कैफेटेरिया भत्ते के हकदार हैं जिसमें परिवहन स्वास्थय, बच्चों की शिक्षा आदि भी शामिल है। उन्हें हॉफ पे लीव व पेटरनिटी लीव समेत छुट्टी की सुविधा भी प्राप्त थी। तीसरी पे रिवीजन कमेटी ने 1 जनवरी 2017 से एक्जीक्यूटिव व नॉन एक्जीक्यूटिव दोनों के लिए बेसिक पे के 15 प्रतिशत फिटमेंट बेनिफिट की और 35 प्रतिशत कैफेटोरिया भत्ते को जारी रखने की सिफारिश की।

सीएमआरएल प्रबंधन ने तीसरी वेतन पुननिर्धारण समिति की सिफारिशों को 18 महीने की देरी से लागू किया लेकिन 15 प्रतिशत फिटमेंट बेनिफिट एक्जीक्यूटिव को तो दिया परन्तु नॉन एक्जीक्यूटिव के लिए इसे 10 प्रतिशत कर दिया। कैफेटेरिया भत्ते को एक्जीक्यूटिव के लिए घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया और नॉन एक्जीक्यूटिव के लिए तो इसे पिछली तिथि से पूरी तरह समाप्त कर दिया। परिणामस्वरुप पूरे 18 महीने में दिया गया कैफेटिरिया भत्ते ने पेटरनिटी लीव व हाफ पे लीव भी वापिस ले ली।

प्रबंधन ने काम की तीन पालियों से इनकार करते हुए स्टेशन नियंत्रकों के काम के घंटे दो शिफ्टों में बढ़ा दिये तथा कैब सुविधा व स्टेशन पर आराम कक्ष की सुविधा प्रदान करने से भी इनकार कर दिया।

दिल्ली

एम सी डी की अतिक्रमण विरोधी मुहिम

रेहड़ी–पटरी यूनियन ने की एफ आइ आर दर्ज करने की माँग

दिल्ली प्रदेश रेहड़ी–पटरी खोमचा हाकर्स यूनियन (स्ट्रीट वैंडर्स यूनियन) के बैनर तले 200 रेहड़ी पटर बिक्रेताओं ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से अवैध रुप से रेहड़ी– पटरी वालों को हटाने की मुहिम के विरोध में 5 मई को निजामुद्दीन पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया। यूनियन एमसीडी अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की माँग कर रही थी। तथ्य यह कि एमसीडी अधिकारी जिसे कोर्ट आर्डर का हवाला दे रहे थे वह स्थायी या अस्थायी निर्माण द्वारा अतिक्रमण के बारे में है न कि स्ट्रीट वैंडरों के बारे में। कानून में स्ट्रीट वैंडर अतिक्रमणकारी नहीं हैं। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 की धारा 3 (3) के अधीन स्ट्रीट वेंडरों को हटाना गैर कानूनी है क्योंकि एक्ट, सर्वे, सर्टिफिकेशन के अनुसार वेंडिग जोन आदि का बनना पहले होना चाहिये जो एमसीडी ने अभी तक नहीं किया है।

सीटू की दिल्ली स्टेट कमेटी के अध्यक्ष वीरेन्द्र गौड ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। निजामुद्दीन थाना अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया।

(योगदानः अहमद सिद्दीकी)

कामकाजी महिलाऐं

तमिलनाडु

डब्ल्यूडब्ल्यूसी.सी. का 11वाँ राज्य सम्मेलन

18–19 मई, 2019 को सलेम में आयोजित तमिलनाडु कामकाजी महिला समन्वय समिति (डब्ल्यूडब्ल्यूसीसी) के 11वें राज्य सम्मेलन में 34 जिलों के 220 प्रतिनिधियों ने और 14 क्षेत्रों – आईसीडीएस, बिजली, निर्माण, सिलाई, बीड़ी, हैंडलूम, पावरलूम, इंजीनियरिंग, वस्त्र, बीएसएनएल, बीमा, बैंक, आईटीई और सहकारी से सम्मेलन में भाग लिया। प्रतिनिधियों के बीच युवा महिलाएं, स्नातक और स्नातकोत्तर बड़ी संख्या में थे।

यह सम्मेलन वीपीसी मेमोरियल हॉल से कॉमरेड सरस्वती मेमोरियल हॉल (सम्मेलन स्थाल) तक एक रंगारंग जुलूस के साथ शुरू हुआ; राज्य आंगनबाड़ी फेडरेशन के महासचिव डी. डेजी की अध्यक्षता में एक खुले सत्र हुआ। उसके बाद स्वागत समिति के अध्यक्ष टी. उदयकुमार ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए, ऑल इंडिया डब्ल्यूडब्ल्यूसीसी के संयोजक और सीटू की राष्ट्रीय सचिव ए.आर. सिन्धु ने मजदूर वर्ग के समक्ष आम सवालों में, दमन–उत्पीड़न, मजदूर अधिकरों में कटौती, बढ़ती बेरोजगारी, समान काम के लिए समान वेतन का मुद्दा, बढ़ती ठेकेदारी और कैजुअल आदि हैं। महिलाओं के विशिष्ट मुद्दों पर उन्होंने कार्यस्थलों पर महिला मजदूरों के यौन उत्पीड़न और शिकायत समिति के गठन की आवश्यकता, कार्य स्थलों पर क्रेच सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी, ड्रेस कोड, महिलाओं को रात की पाली में काम करने के खिलाफ, आदि पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने स्वतंत्र और संयुक्त संघर्ष पर जोर दिया और कहा कि तमिलनाडु डब्ल्यूडब्ल्यूसीसी ने आंदोलन की मुख्य धारा में महिला श्रमिकों की बढ़ती संख्या और सीटू में महिला कैडर और नेताओं की बढ़ती संख्या के मामले में सराहनीय योगदान दिया है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीटू राज्य महासचिव जी. सुकुमारन ने सीटू के आंदोलन में और नेतृत्व में और अधिक महिला कार्यकर्ताओं को लाने के उद्देश्य को समझाया; ग्रामीण मजदूरों के बीच बड़े पैमाने पर अभियान चलाने और बड़े पैमाने पर सीटू की 50वीं वर्षगांठ के आयोजन की आवश्यकता है। अधिवेशन को बधाई देते हुए, एडवा के प्रदेश अध्यक्ष वेलेंटाइन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न के बारे में कहा; और कहा कि इन चुनौतियों के खिलाफ संयुक्त आंदोलन की जरूरत है।

प्रतिनिधियों के सत्र में डब्ल्यूडब्ल्यूसीसी के राज्य संयोजक एम. महालक्ष्मी ने कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की। चर्चा में 45 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। विधायिकाओं में 33% आरक्षण, मातृत्व लाभ, शिकायत समितियों का गठन, योजना श्रमिकों के लिए समय सीमा, सभी के लिए न्यूनतम वेतन, घरेलू कामगार अधिनियम के कार्यान्वयन, अंशकालिक मजदूरों का नियमितीकरण आदि पर भी प्रस्ताव पारित किए गए। सम्मेलन ने एम. धनलक्ष्मी को तमिलनाडु डब्ल्यूडब्ल्यूसीसी का संयोजक चुना।

सीटू तमिलनाडु के राज्य कोषाध्यक्ष मालती चिट्टिबाबू ने अपने भाषण में, महिला मजदूरों के बीच सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि तमिलनाडु डब्ल्यूडब्ल्यूसीसी के भविष्य के कार्य के रूप में प्रभावी राज्य स्तरीय आंदोलनकारी के लिए इनसे उत्पन्न होने वाली माँगों की पहचान करने के लिए उनकी समस्याओं और रहने की स्थिति का पता लगाया जा सके। *(द्वारा: मालती चिट्टिबाबू)*

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkbl

jkT;	dn	Qjojh 2018	ekp 2019
vk/k inn'k	x.Vj	287	288
	fot ;ckMk	291	291
	fo'kk[kkiÿkue	291	290
vle	MeMek frulf[k;k	272	273
	xokgkVh	272	273
	ycd flYpj	270	273
	efj;kuh tkjgkV	255	256
	jxkikjk rtij	248	250
fcgkj	e?kj&tekyij	334	340
p.Mhx<	p.Mhx<	305	307
NÿkhlX<	fHkykbl	323	323
fnYyh	fnYyh	293	297
Xkkvk	xkvk	329	329
Xkt jkr	vgenkckn	278	279
	Hkkouxj	292	293
	jktdkV	296	297
	lijr	266	268
	oMknjk	274	275
gfj;k.kk	Qjhnkckn	272	274
	;euk uxj	290	291
fgekpy	fgekpy çn'k	266	267
tEe ,o d'ehj	Jhuxj	278	279
>kj[k.M	ckdkjk	294	297
	fxfjMhg	343	342
	te'knij	348	351
	>fj;k	356	358
	dkMek	381	376
	jkph gfV;k	376	381
dukVd	cyxke	303	306
	cxy#	292	295
	gcyh /kkjokM	324	326
	ejdjk	307	306
	elij	309	308
dijy	,.kkdye@vyob	314	314
	e.MkD;ke	308	310
	fDoyku	357	356
e/; çn'k	Hkkiky	322	324
	fNnokM	302	304
	bnkj	278	280
	tcyij	316	317

jkT;	dn	Qjojh 2018	ekp 2019
महाराष्ट्र	मुम्बई	302	305
	ukxij	387	386
	ukfld	357	357
	i.k	329	331
	'kkykij	324	324
mMhlk	vkxy&rkypj	326	328
	jkmjdyk	308	309
ikfMpfj	ikfMpfj	313	312
ijtkc	verlj	333	332
	tkyU/kj	318	319
	yf/k;kuk	291	292
jktLFkku	vtej	284	286
	HkhyokM	283	288
	t;ij	299	302
rfeyukM	pUuk	278	276
	dk;EcVj	282	282
	dUuj	325	325
	enjkb	292	294
	lye	287	287
	fr#fpjkiYyh	296	293
ryxkuk	xknkojh[kkuh	321	321
	gnjkckn	257	258
	okjxy	314	315
f=ijk	f=ijk	258	259
mÿkj çn'k	vkxjk	349	351
	xkft;kckn	336	339
	dkuij	335	340
	y[kuÅ	328	334
	okjk.klh	323	325
if'pe cxky	vklulky	330	332
	nkftfyx	272	272
	nxkij	325	329
	gfYn;k	336	337
	gkoMk	281	285
	tkyikbxMh	277	277
	dkydkrk	285	288
	jkuhxt	285	288
	flyhxMh	276	276
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		**307**	**309**

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568; आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्क:** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ

  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,

  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेल: citubtr@gmail.com

  फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

विरोध कार्रवाहियां

जयपुर में मुख्यमंत्री के समक्ष विरोध *(रिपोर्ट पृ. 17)*

राजस्थान के नीमराणा में डाइकिन मजदूरों के उत्पीड़न और दमन के खिलाफ, विरोध प्रदर्शन और हैदराबाद में डाइकिन के क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सौंपते हुए

जेट एयरवेज की सहायक, जेटलाइट एयरवेज के मजदूर और कर्मचारी, 9 मई को असम के गुवाहाटी में बोरझार हवाई अड्डे पर प्रदर्शन करते हुए, उड़ान संचालन को फिर से खोलने और बकाया वेतन भुगतान की माँग।

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication -05/06/2019)

मई दिवस समारोह

राउरकेला, ओडिशा

तिरुवंन्तपुरम, केरल

अगरतला, त्रिपुरा

विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

आरसोन, पंजाब

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : के हेमलता